रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1913] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 6, 2017/आषाढ़ 15, 1939
No. 1913] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 6, 2017/ASADHA 15, 1939

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जुलाई, 2017

का.आ. 2147(अ).—भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. 64 (अ), तारीख 7 जनवरी, 2016 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण में, उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त राजपत्र की प्रतियां, जिसमें यह अधिसूचना अंतर्विष्ट है, जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए एक प्रारुप अधिसूचना प्रकाशित की गई थी;

और, उक्त प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट राजपत्र, की प्रतियां जनता को 7 जनवरी, 2016, को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और, पूर्वोक्त प्रारुप अधिसूचना के प्रत्युत्तर में व्यक्तियों और पणधारियों से कोई आक्षेप और सुक्षाव प्राप्त नहीं हुए हैँ;

और, कर्नाटक सरकार द्वारा अधिसूचना सं. एएफडी 58 एफडब्ल्यूएल 74, तारीख 17 जून, 1974 द्वारा अधिसूचित रानेबेन्नूर ब्लैकबक अभयारण्य कर्नाटक राज्य के हावेरी जिला के हावेरी और ब्यादगी ताल्लुकों के रानेबेन्नूर में अवस्थित है और उत्तर अक्षांश 14^0 34' और 14^0 46' तथा पूर्व देशांतर 75^0 30' और 75^0 47' के मध्य है तथा 119 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल तक फैला हुआ है तथा क्षेत्र मुख्यत: झाड़ी वन और युकेलिप्टस पौधों से ढंका है ।

और, पेड़ पौधों के अंतर्गत अकेशिया कटेचू, प्रोसोपिस जूलीफोरा, डोडोनिया विस्कोसा, अकेशिया संड्रा, जिजिफस मारिशिनिया, रेंडिया स्पेसिया और केसिया ओरिक्युलेटा, केसिया फिस्टुला, नीम(अजाडिरेक्टा इंडिका),

होलोपटेलिया इंटेग्रिफोलिया, मधुका इंडिका, फिकस स्पेसिया और बांस हैं, जिनको अभयारण्य की सड़कों के साथ रोपा गया है; अभयारण्य इसके ब्लैकबक और लोमड़ी जनसंख्या के लिए प्रसिद्ध हैं तथा अन्य स्तनधारियों के अंतर्गत जंगली सूअर, लोमड़ी, सियार, लंगूर, साही, सामान्य नेवला, खरगोश और साल है ; अभयारण्य के ईरानीगुड्डा क्षेत्र में लकड़बग्घा भी पाए जाते हैं; अभयारण्य की स्थापना से ब्लैकबक की संख्या में निरंतर वृद्धि देखी गई है और वर्ष 2005 तक अभयारण्य की छोटी घास वाले मैदानों, एक बड़ा धावी पक्षी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी देखा जाता था तथा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की अतिरिक्त अभयारण्य में पक्षी-जीवों के अंतर्गत मोर, कोयल, ग्रे बेब्बलर, स्नाइक, ब्लैक ड्रोंगो, भूरा तीतर, सेंड ग्रोउज, बुश क्वैल और बहुत से अन्य हैं।

और, रानेबेन्नूर ब्लैकबक अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पारिस्थितिक और पर्यावरण की दृष्टि से पारिस्थितिक संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिक संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गों के प्रचालन तथा प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्नाटक राज्य में रानेबेन्नूर ब्लैकबक अभयारण्य की सीमा से 100 मीटर से 4.60 किलोमीटर तक के विस्तार तक के क्षेत्र को रानेबेन्नूर ब्लैकबक अभयारण्य पारिस्थितिक संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिक संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :--

1. **पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं**--(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार, रानेबेन्नूर ब्लैकबक अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 100 मीटर से 4.60 किलोमीटर के विस्तार तक 112.74 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है और ऐसे जोन की सीमा का विस्तृत रूप **उपाबंध I** में दिया गया है।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर आने वाले 38 ग्रामों की सूची प्रमुख बिन्दुओं के भू-निर्देशांकों के साथ **उपाबंध II** के रूप में उपाबद्ध है।

(3) अक्षांश और देशान्तर के साथ सीमा वर्णन के साथ पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र **उपाबंध III** के रूप में उपाबद्ध हैं।

(4) पारिस्थितिक संवेदी जोन के साथ-साथ अभयारण्य सीमा के प्रमुख बिंदुओं के भू- निर्देशांक **उपाबंध IV** के रुप में उपाबद्ध है।

2. पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना – (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में संलग्न अनुबंधों के सामंजस्य से आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना इस तरह, इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रूप तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के सामंजस्य और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी।

(3) आंचलिक महायोजना, पर्यावरणीय और पारिस्थितिक विचारों को समाकलित करने के लिए राज्य सरकार के सभी संबद्ध विभागों के परामर्श से तैयार होगी, अर्थात्:--

(i) पर्यावरण;

(ii) वन और वन्यजीव;

(iii) कृषि ;

(iv) राजस्व;

(v) नगर विकास;

(vi) पर्यटन;

(vii) ग्रामीण विकास;

(viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;

(ix) नगरपालिका;

(x) पंचायती राज;

(xi) लोक निर्माण विभाग।

(4) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो और आचंलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में और अधिक दक्षता और पारिस्थितिक अनुकूलता का संवर्धन करेगी ।

(5) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिक और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलूओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे ।

(6) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोउद्यान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यकंन करेगी और इस योजना के मानचित्र द्वारा विद्यमान और प्रस्तावित भूमि के उपयोग का विवरण किया जाएगा ।

(7) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिक संवेदी जोन में विकास को विनियमित करेगा और अनुच्छेद 4 की सारणी में सूचीबद्ध प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों का पालन करेगा और स्थानीय समुदायों की आजीविका सुरक्षा के लिए पारिस्थितिक-अनुकूल विकास को सुनिश्चित करेगा और बढ़ावा देगा।

(8) आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना में दिए गए उपबंधों के संबंध में अपने कार्यों के बाहर ले जाने के लिए निगरानी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज तैयार करेगी ।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय**-- राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:--

(1) **भू-उपयोग –** (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक और औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा।:

परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कृषि भूमि का संपरिवर्तन निगरानी समिति की सिफारिश पर और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, राज्य सरकार के अन्य नियमों और विनियमों के रूप में लागू होंगे, जो स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए है, जैसे:-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर हैं; सुविधाजनक भण्डार और स्थानीय सुविधाओं सहायक पारिस्थितिक पर्यटन में सम्मिलित ग्रह वास; और

(v) अनुच्छेद 4 के अंतर्गत दिए गए संवर्धित क्रियाकलाप है:

परंतु यह और भी राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन तथा संविधान के अनुच्छेद 244 यातत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई त्रुटि, निगरानी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को देनी होगी ।

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि का संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा ।

परंतु यह और भी कि जिससे हरित क्षेत्र में जैसे वन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, आदि में कोई पारिणामिक कटौती नहीं होगी और अप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे ।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोत** -- आचंलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों, नदियों और चैनलों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनरुद्भूतकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के लिए ऐसी रीति से मार्गनिर्देश तैयार किए जाएंगे ।

(3) **पर्यटन –** (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप पर्यटन महायोजना के अनुसार होंगे जो कि आंचलिक महायोजना के भाग रूप में होगी ।

(ख) पर्यटन महायोजना पर्यटन विभाग, कर्नाटक प्रदेश सरकार द्वारा कर्नाटक सरकार के राजस्व विभाग और वन विभाग, के परामर्श से तैयार की जाएगी ।

(ग) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :-

(i) पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटक क्रियाकलापों के संबंध में अस्थायी अधिभोग के लिए वास सुविधा के सिवाय रानेबेन्नूर ब्लैकबक अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर भीतर होटल और रिसोर्टों का नया संनिर्माण अनुज्ञात नहीं होगा:

परन्तु यह कि संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा तक नए होटल और रिसोर्ट की स्थापना पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिक पर्यटन सुविधा के लिए पूर्व परिभाषित और विनिर्दिष्ट स्थान में ही अनुज्ञात किया जाएगा ;

(ii) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, (समय-समय पर यथा संशोधित) द्वारा जारी पारिस्थितिक पर्यटन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, पारिस्थितिक पर्यटन, पारिस्थितिक शिक्षा और पारिस्थितिक विकास को महत्व देते हुए पारिस्थितिक संवेदी जोन की वहन क्षमता के अध्ययन पर आधारित होगा;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा निगरानी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया होगा ।

(4) **नैसर्गिक विरासत --** पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें संरक्षित किया जाएगा तथा उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए उपयुक्त योजना बनाएगी और ऐसी योजना आंचलिक महायोजना का भाग होगा ।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल** - पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान करनी होगी और उनके संरक्षण की योजनाएं तैयार करनी होगी तथा आंचलिक महायोजना में सम्मिलित की जाएगी ।

(6) **ध्वनि प्रदूषण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर्यावरणीय (संरक्षण) अधिनियम, 1986,के अधीन बनाए गए ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम ,2000 के उपबंधों के अनुसार तैयार करेगा

(7) **वायु प्रदूषण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार तैयार करेगा ।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण सामान्य मानकों के लिए पर्यावरणीय प्रदूषित आच्छादित के निस्सारण के अंतर्गत पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार होगा तथा पर्यावरण की सरंक्षण के लिए मानक और अधिक कठोर बनाये जा सकते हैं।

(9) **ठोस अपशिष्ट --** ठोस अपशिष्टों का निपटान निम्नलिखित रूप में होगा--

(क) पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016, जो भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ;

(ख) स्थानीय प्राधिकरण जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय संघटकों में ठोस अपशिष्टों के संपृथक्कन के लिए योजनाएं तैयार करेंगे ;

(ग) जैव निम्नीकरणीय सामग्री को अधिमानतः खाद बनाकर या कृमि खेती के माध्यम से पुनःचक्रित किया जाएगा ;

(घ) अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिक संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों को जलाना या भष्मीकरण अनुज्ञात नहीं होगा।

(10) **जैव चिकित्सीय अपशिष्ट**- जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन निम्नलिखित रूप में होगा—

(क) पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं.का.नि 343 (अ) तारीख 28 मार्च 2016 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(ख) पारिस्थितिक संवेदी जोन में कोई सामान्य उपचार सुविधा या जलाया जाना अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन**: - पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध नियम 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन: -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(13) **ई–अपशिष्ट:-** पारिस्थितिक संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित ई–अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **यानीय परिवहन**: - परिवहन की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध अधिकथित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा के अनुमोदित होने तक, निगरानी समिति प्रवृत्त नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय गतिविधियों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(15) **यानीय प्रदूषण:-** लागू विधियों के अनुसार वाहन प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण का अनुपालन किया जाएगा। स्वच्छक ईंधन के उपयोग के लिए किए गए प्रयास उदाहरण के लिए सीएनजी, आदि हैं ।

(16) **औद्योगिक ईकाइयां**: - (क) राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन के बाद या प्रकाशन में, पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कोई नए प्रदूषित उद्योगों की स्थापना की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ख) पारिस्थितिक संवेदी जोन के केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों में फरवरी, 2016 के भीतर सिर्फ गैर- प्रदूषित उद्योगों की स्थापना के वर्गीकरण की अनुमति दी जाएगी, जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो। इसके अलावा, गैर-प्रदूषित कुटीर उद्योगों को प्रतिषिद्ध किया जाएगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों को संरक्षण: -** पहाड़ी ढलानों के संरक्षण के अंतर्गत:-

(क) आंचलिक महायोजना पहाड़ी ढलानों पर क्षेत्रों का संकेत होगा जहां किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

(ख) कटाव के एक उच्च डिग्री के साथ विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों या ढलानों पर किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची - पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों और तटीय विनियमन जोन (सीआरजेड), 2011 और पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना, 2006 और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 के 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 के 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 के 53) संशोधनों सहित शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :--

सारणी

क्रम सं.	**क्रियाकलाप**	**टिप्पणियां**
(1)	(2)	(3)
	क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप	
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर की खदान और उनको तोड़ने की इकाइयां ।	(क) सभी नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनको तोड़ने की इकाइयां प्रतिषिद्ध होंगी । तथापि, वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं के लिए मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना और मकान बनाने के लिए देशी टाइल्स या ईंटों का निर्माण करना विद्यमान विनियमों के अनुसार अनुज्ञात होंगे । (ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सिविल) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के अंतरिम आदेश के अनुसरण में सर्वथा होंगे ।
2.	प्रदूषण (जल या वायु या मृदा या ध्वनि आदि) कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना ।	कोई नई और पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के विस्तार की अनुमति दी जाएगी ।पारिस्थितिक संवेदी जोन के केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों में फरवरी, 2016 के भीतर सिर्फ गैर- प्रदूषित उद्योगों की स्थापना के वर्गीकरण की अनुमति दी जाएगी, जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो ।

3.	बृहत जल विद्युत परियोजना की स्थापन ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अनुपचारित प्रवाह के निर्वहन ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
6.	ठोस अपशिष्ट निपटान स्थल की स्थापना और सामान्य जलाए जाने की सुविधा के लिए ठोस और जैव चिकित्सा अपशिष्ट।	पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट निपटान की कोई नई ठोस अपशिष्ट निपटान स्थल और अपशिष्ट उपचारित/प्रसंस्करण सुविधा की अनुमति नहीं है । औद्योगिक प्रक्रिया और स्वास्थ्य प्रतिष्ठान अस्पतालों, आदि से उत्पन्न या किसी भी ठोस अपशिष्ट के उपचारित के लिए सामान्य या व्यक्तिगत जलावतरण की सुविधा का अधिकतर प्रतिषिद्ध है ।
7.	फर्मों, कंपनियों आदि द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन संपदा और कुक्कुट फार्मों की स्थापना ।	स्थानीय जरूरतों को पूरा करने के लिए लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
8.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई या विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
9.	ईंट भट्टों की स्थापना करना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
10.	जलावन लकड़ियों का वाणिज्यिक उपयोग ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
ख. विनियमित क्रियाकलाप		
11.	होटलों और रिसोर्टों की स्थापना ।	पारिस्थितिक पर्यटन क्रियाकलापों संबंधी पर्यटकों की लघु संरचनाओं के लिए संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर तक या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नए वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट अनुज्ञात होंगे, अन्यथा नहीं । परंतु, जहाँ पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार एक किलोमीटर से ज्यादा है वहाँ, एक किलोमीटर से परे और पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक सभी नए पर्यटक क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलाप का विस्तार पर्यटन महायोजना और यथा लागू मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरुप होगा।
12.	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	(क) संरक्षित क्षेत्र या पारिस्थितिक संवेदी जोन जो भी निकट हो, की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर किसी भी प्रकार का वाणिज्यिक संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा:

		परंतु स्थानीय लोगों को पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित उनके आवासीय उपयोग के लिए उनकी भूमि में संनिर्माण करने की अनुमति भवन उपविधियों के अनुसार दी जाएगी । (i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण; (ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण; (iii) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों में फरवरी, 2016 के भीतर सिर्फ गैर- प्रदूषित उद्योगों की स्थापना के वर्गीकरण; (iv) कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग हैं; सुविधाजनक भण्डार और स्थानीय सुख सुविधाओं जो पारिस्थितिक पर्यटन जिस में सहायक हो ग्रह वास; और (v) इस अधिसूचना में संवर्धित क्रियाकलापों की सूची : (ख) परन्तु यह और कि ऐसे लघु उद्योगों जो प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं, से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप विनियमित किए जाएंगे और लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से ही न्यूनतम पर रखे जाएंगे । (ग) एक किलोमीटर से आगे आंचलिक महायोजना की अनुसार विनियमित होंगे ।
13.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग ।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों में वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग और अपरिसंकट में, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, उद्यान कृषि या पारिस्थितिक संवेदी जोन से देशी सामग्री से उत्पादों को उत्पन्न करने वाले कृषि आधारित उद्योग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।
14.	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में किंही वृक्षों की कटाई नहीं होगी । (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार

		विनियमित होगी ।
15.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण (एन.टी.एफ.पी.) ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
16.	विद्युत केबलों और दूरसंचार टावरों का परिनिर्माण और केबल बिछाना और अन्य बुनियादी ढांचे ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे (भूमिगत केबल को बढ़ावा दिया जाएगा)।
17.	नागरिक सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचे।	लागू विधियों के अनुसार न्यूनीकरण की उपायों के साथ, नियम और विनियमन और उपलब्ध दिशानिर्देश विनियमित होंगे।
18.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना ।	लागू विधियों के अनुसार न्यूनीकरण की उपायों के साथ, नियम और विनियमन और उपलब्ध दिशानिर्देश विनियमित होंगे।
19.	पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुब्बारें, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइटस और अन्य पर्यटन क्रियाकलाप आदि द्वारा पारिस्थितिक संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
20.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
21.	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे ।
22.	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ पशुपालन, पशुपालन कृषि और मछली पालन ।	स्थानीय लोगों के उपयोग के लिए लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
23.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्स्राव का निस्सारण ।	उपचारित बहिर्स्राव के पुनर्चक्रण को प्रोत्साहित करने और अवमल या ठोस अपशिष्टों के निपटान के लिए विद्यमान विनियमों का अनुपालन किया जाएगा । अन्यथा लागू विधियों के अधीन उपचारित बहिर्स्राव के पुनर्चक्रण/प्रवाह के निर्वहन को विनियमित किया जाएगा।
24.	सतह और भूजल के वाणिज्यिक निष्कर्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
25.	खुले कुआ, बोर कुआ, आदि के लिए कृषि और अन्य उपयोग ।	विनियमित और उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा क्रियाकलापों की सख्ती से निगरानी की जाएगी।
26.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।

27.	विदेशी प्रजातियों को लाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
28.	पारिस्थितिक पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
29.	पोलिथीन बैगों का उपयोग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
30.	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
ग. संवर्धित क्रियाकलाप		
31.	वर्षा जल संचयन ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
32.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
33.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
34.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर भी हैं ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
35.	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग ।	बायोगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को बढ़ावा दिया जाना है ।
36.	कृषि वानिकी ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
37.	पारिस्थितिक अनुकूल परिवहन का उपयोग ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
38.	कौशल विकास ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
39.	निम्नीकृत भूमि या वन या आवास की बहाली ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
40.	पर्यावरणीय जागरुकता ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

5. निगरानी समिति- केंद्रीय सरकार द्वारा, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदन्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पारिस्थितिक संवेदी जोन की प्रभावी निगरानी के लिए तीन वर्ष की अवधि के लिए एक निगरानी समिति का गठन किया गया, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात्:--

(क) क्षेत्रीय आयुक्त, बेलागावी -अध्यक्ष ;

(ख) विधान सभा के सदस्य, रानेबेन्नूर - सदस्य;

(ग) विधान सभा के सदस्य, हावेरी – सदस्य;

(घ) विधान सभा के सदस्य, बयादगी – सदस्य;

(ड.) क्षेत्रीय अधिकारी, कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड - सदस्य;

(च) कर्नाटक सरकार के पर्यावरण विभाग का प्रतिनिधि – सदस्य;

(छ) कर्नाटक सरकार के शहरी विकास विभाग का प्रतिनिधि – सदस्य;

(ज) गैर सरकारी संघठन का एक प्रतिनिधि जो पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य कर रहा है जिसे कर्नाटक सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में तीन वर्ष की अवधि के लिए नाम निर्दिष्ट किया जाएगा - सदस्य;

(झ) पर्यावरण और पारिस्थिति के क्षेत्र में तीन वर्ष की अवधि के लिए कर्नाटक सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाने वाला एक विशेषज्ञ - सदस्य;

(ञ) उपायुक्त या उनके प्रतिनिधि, हावेरी जिला - सदस्य;

(ट) राज्य जैव-विविधता बोर्ड का सदस्य -सदस्य;

(ठ) सहायक वन संरक्षक, रानेबेन्नूर ब्लैकबक अभयारण्य, वन्यजीव उपमंडल, रानेबेन्नूर –सदस्य-सचिव।

*(कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा अन्य बातों के साथ, सुसंगत अनुमोदन अभिप्राप्त करने के अध्यधीन, जिसके अंतर्गत विधान सभाध्यक्ष, कर्नाटक की अनुज्ञा, यदि कोई हो, है)

6. निर्देश निबंधन.-

(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(2) निगरानी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(5) निगरानी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध कलक्टर या संबंधित उद्यान उप वन संरक्षक ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा ।

(6) निगरानी समिति मुद्दों के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(7) निगरानी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट **उपाबंध V** में उपबंधित रूप में उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय निगरानी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निर्देश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी ।

8. इस अधिसूचना के उपबंध, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन होंगे ।

[फा. सं. 25/136/2015-ईएसजेड]

ललित कपूर, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध I

पारिस्थितिक संवेदी जोन में रानेबेन्नूर ब्लैकबक अभयारण्य की सीमाओं का विवरण

खंड -1 : *हुल्लाट्टी-हुनसीकट्टी खंड*

उत्तर : सीमा रेखा धारा के बिन्दु के निर्देशांक उ 14⁰ 43' 2.47 पू 75⁰ 40' 14.26 के साथ मैधुरा ग्राम के सर्वे सं. 9 के उत्तर-पश्चिम कोण से आरंभ होकर और पूर्व की ओर 14 और 13 के द्वि-जंक्शन बिन्दु से होते हुए जाती है। इसके बाद रेखा सर्वे सं. 13, 94 की बाहरी सीमा के साथ जाती है और इसके अतिरिक्त उत्तर की ओर कुदरीहाला ग्राम के सर्वे सं. 94 एवं 95 के अंर्त राज्य सीमा से होते हुए जाती है फिर यह सामान्य ग्राम सीमा के मैधुरा ग्राम के सर्वे सं. 82 कुदरीहाला के सर्वे सं. 95 के द्वि-जंक्शन बिन्दु पहुँचती है । इसके बाद रेखा सर्वे सं. 95, 105, 104, 111, 112, 114 की बाहरी सीमा जाती है फिर यह कुदरीहाला ग्राम के सर्वे सं. 114 एवं 125 के सामान्य बिन्दु पहुँचती है । इसके बाद रेखा उपनिवेश के निकट बिन्दु के निर्देशांक उ 14⁰ 43' 26.72 पू 75⁰ 41' 47.41 के साथ पूर्व की ओर जाती है, इसके बाद रेखा कुदरीहाला ग्राम के सर्वे सं. 10 से पूर्व की ओर जाती है और इसके अतिरिक्त सर्वे सं. 6 एवं 9 की बाहरी सीमा के साथ जाती है फिर यह छोटे धारा के सर्वे सं. 9 पहुँचती है, इसके बाद रेखा सर्वे सं. 14, 15 से पूर्व की ओर जाती है और इसके अतिरिक्त रेखा तुंगभद्रा नदी की आंतरिक सीमा के साथ जाती है यह निर्देशांक उ 14⁰ 43' 13.88 पू 75⁰ 42' 53.05 के साथ बिन्दु पहुँचती है।

पूर्व : बिन्दु के ऊपर से रेखा हिलादहल्ली ग्राम के सर्वे सं. 101 के उत्तरी बिन्दु पहुँचकर दक्षिण की ओर जाती है, इसके बाद दक्षिण से पूर्व की ओर सर्वे सं. 108 एवं 107 के द्वि-जंक्शन बिन्दु पहुँचती है और सर्वे सं. 108 की बाहरी सीमा से होते हुए जाती है, इसके अतिरिक्त सर्वे सं. 107 से सर्वे सं. 106, 60 एवं 61 के त्रि-जंक्शन बिन्दु द्विविभाजित करती है । इसके बाद रेखा दक्षिण पूर्व दिशा में कर्ण रुप में सर्वे सं. 61 में द्विविभाजित करती है एवं इसके अतिरिक्त सर्वे सं. 62 से सर्वे सं. 62 एवं 61 के द्वि-जंक्शन बिन्दु पहुँचकर द्विविभाजित करती है और इसके बाद रेखा सर्वे सं. 65 एवं 66 की बाहरी सीमा से होते हुए जाती है । इसके बाद रेखा सर्वे सं. 67 से निर्देशांक उ 14⁰ 41' 57.08 पू 75⁰ 43' 17.32" के साथ हिलादहल्ली और उधघट्टा ग्राम की अंर्त ग्राम सीमा के बिन्दु पहुँच कर द्विविभाजित करती है। इसके बाद रेखा दक्षिण की ओर सर्वे सं. 53 एवं 52 द्विविभाजित करती है, इस बिन्दु से रेखा सर्वे सं. 52 एवं 51 के द्वि-जंक्शन पहुँच कर दक्षिण पश्चिम दिशा में जाती है, इस बिन्दु से रेखा उधघट्टा

अन्कासापुरा ग्रामों की अंर्त ग्राम सीमा के उधघट्टा ग्राम के सर्वे सं. 46 एवं 45, अन्काशापुरा ग्राम की सर्वे सं. 29/1 के त्रि-जंक्शन बिन्दु पहुँच कर दक्षिण पश्चिम दिशा में जाती है। इसके बाद रेखा ग्राम सीमा के उधघट्टा ग्राम के सर्वे सं. 45 के साथ दक्षिण की ओर से होते हुए जाती है, इसके बाद अन्कासापुरा के सर्वे सं. 29/1 के दक्षिण पश्चिम बिन्दु से जाती है, इसके बाद रेखा पश्चिम की ओर जाकर जहाँ अन्कासापुरा ग्राम की सर्वे सं. 29/1 एवं 29/2 से मिलती है। इस बिन्दु से रेखा दक्षिण पश्चिम दिशा में सर्वे सं. 17/2 एवं 22 के द्वि-जंक्शन बिन्दु जाती है। इसके बाद रेखा सर्वे सं. 18/4 एवं 43/1 के द्वि-जंक्शन पहुँच कर दक्षिण की ओर जाती है, इसके बाद सर्वे सं. 43/1 द्विविभाजित होकर एवं दक्षिण पश्चिम बिन्दु तक समीपवर्ती उपनिवेश है। इसके बाद रेखा बाहरी सीमा के सर्वे सं. 44/4 के साथ दक्षिण की ओर से अन्कासापुरा और मेदलेरी ग्राम की अंर्त ग्राम सीमा के सर्वे सं. 43/3 एवं 44/4 द्वि-जंक्शन बिन्दु मिलती है। इसके बाद सीमा रेखा मेदलेरी के सर्वे सं. 124, 126 के बाहरी सीमा से होते हुए सर्वे सं. 126, 74 एवं 73 के त्रि-जंक्शन बिन्दु से मिलती है। इसके बाद रेखा सर्वे सं. 73, 72, 71 से दक्षिण पूर्व दिशा में जाती है सर्वे सं. 71 एवं 64 में मिलती है, इसके अतिरिक्त सर्वे सं. 64 की बाहरी सीमा से सर्वे सं. 64 एवं 63 के द्वि-जंक्शन बिन्दु से होते हुए जाती है। इसके बाद रेखा सर्वे सं. 63, 61, 55 से द्विविभाजित होकर दक्षिण पूर्व दिशा में मेदलेरी ग्राम के सर्वे सं. 55 एवं 51 के सामान्य बिन्दु से मिलती है। इसके अतिरिक्त, रेखा सर्वे सं. 51, 50, 421, 420, 417, धारा एवं 418 से द्विविभाजित होकर दक्षिण पूर्व की ओर जाती है सर्वे सं. 418 एवं 342 के द्वि-जंक्शन बिन्दु से मिलती है।

इसके बाद रेखा सर्वे सं. 345, 347, 344 द्विविभाजित होकर दक्षिण की ओर से सर्वे सं. 344 एवं 366 के द्वि-जंक्शन बिन्दु से मिलती है और इसके अतिरिक्त मेदलेरी ग्राम के सर्वे सं. 356 एवं 357 और यकलासपुरा ग्राम के सर्वे सं. 109 के त्रि-जंक्शन बिन्दु के सर्वे सं. 366, 356 की बाहरी सीमा के साथ जाती है। इसके बाद रेखा सर्वे सं. 109, 110 द्विविभाजित होकर दक्षिण पूर्व दिशा में जाती है सर्वे सं. 110 एवं 106 के सामान्य बिन्दु से मिलती है। इसके बाद रेखा सर्वे सं. 106 के उत्तरी भाग पर जाती है एवं इसके अतिरिक्त सर्वे. सं. 113, 114, 117, 118 के बाहरी सीमा के साथ पूर्व की ओर जाकर यह यकलासपुरा के सर्वे सं. 118 एवं 119 के द्वि-जंक्शन बिन्दु पहुँचती है, इसके बाद रेखा सर्वे सं. 119, 120, 142 द्विविभाजित होकर दक्षिण पूर्व की ओर जाती है सर्वे सं. 142 एवं 140 के द्वि-जंक्शन बिन्दु से मिलती है। बिन्दु से रेखा यकलासापुरा के सर्वे सं. 140, 137, 25, 26 द्विविभाजित होकर दक्षिण पूर्व की ओर दिशा में सर्वे सं. 26 एवं 28 के द्वि-जंक्शन बिन्दु से मिलती है। इसके अतिरिक्त रेखा यकलासापुरा की सर्वे सं. 28, 29, 30 द्विविभाजित होकर यकलासापुरा ग्राम के सर्वे सं. 30 एवं 38 एवं अरेमाल्लापुरा ग्राम के सर्वे सं. 201 के अंर्त ग्राम सीमा के त्रि-जंक्शन बिन्दु पहँचती है। इसके बाद रेखा अरेमाल्लापुरा के सर्वे सं. 201 एवं 200 द्विविभाजित होकर दक्षिण पूर्व दिशा में सर्वे सं. 200, 193 एवं 194 के त्रि-जंक्शन बिन्दु पहुँचती है। इसके बाद रेखा सर्वे. सं. 194, 196, 181, 179, 176, 175 के बाहरी सीमा के साथ होते हुए सर्वे सं. 175 एवं 167 के द्वि-जंक्शन बिन्दु मिलती है, इस बिन्दु से रेखा सर्वे. सं. 167 एवं 166 द्विविभाजित होकर सामान्य ग्राम सीमा के निर्देशांक उ 14^0 37' 17.81 पू 75^0 46' 17.75 के साथ बिन्दु पहँचती है। इसके बाद रेखा सीधी रेखा में जाकर सर्वे. सं. 334 एवं 335 के द्वि-जंक्शन बिन्दु में अईरानी ग्राम की ग्राम सीमा के निर्देशांक उ 14^0 37' 10.56 पू 75^0 46' 40.40 के साथ बिन्दु पहुँचती है। इसके बाद रेखा अईरानी ग्राम के सर्वे. सं. 335, 350 द्विविभाजित होकर जाती है सर्वे. सं. 350 एवं 347 के द्वि-जंक्शन बिन्दु मिलती है, इसके अतिरिक्त रेखा सर्वे. सं. 347, 348, 349, 343, 342, 218, 217 एवं 218 से दक्षिण पूर्व

दिशा में सर्वे सं. 218 एवं 219 के द्वि-जंक्शन बिन्दु की ओर जाती है, इसके बाद रेखा सर्वे सं. 219, 223, 224, 236 एवं 235 से दक्षिण पूर्व दिशा की ओर अईरानी ग्राम की सर्वे सं. 235, 234 एवं 233 के त्रि-जंक्शन बिन्दु से मिलती है। इसके बाद रेखा सर्वे सं. 233, 232, 201 से दक्षिण पूर्व दिशा की ओर जाकर सर्वे सं. 201 एवं 197 के द्वि-जंक्शन बिन्दु से मिलती है और इसके अतिरिक्त सर्वे सं. 197, 198, 15 एवं 16 की ओर जाकर धारा के सर्वे सं. 15 एवं 16 के द्वि-जंक्शन बिन्दु से मिलती है। इसके बाद रेखा सर्वे सं. 8, 7 एवं 19 से सर्वे सं. 19 एवं 21 के द्वि-जंक्शन बिन्दु से मिलती है और इसके अतिरिक्त रेखा सर्वे सं. 21, 22, 25, 26, 30, 29 एवं 36 के बाहरी सीमा के साथ अईरानी ग्राम के सर्वे सं. 36 के पूर्वी मुख्य बिन्दु की ओर जाती है।

दक्षिण: इस बिन्दु के ऊपर से सीमा रेखा दक्षिण पूर्व दिशा में सर्वे सं. 37,40,135,134,133,132 से होते हुए अईरानी ग्राम के सर्वे सं. 132,144 एवं 145 के त्रि-जंक्शन बिन्दु से मिलती है। इसके बाद रेखा अईरानी ग्राम के सर्वे सं. 145 एवं 146 से होते हुए अईरानी ग्राम के सर्वे सं. 146 एवं 147 एवं अईरानी ग्राम और हुल्लीकट्टे ग्राम की अंर्त ग्राम सीमा के साथ हुल्लीकट्टे ग्राम के सर्वे सं. 100 के त्रि-जंक्शन बिन्दु से मिलती है। इसके बाद रेखा दक्षिण पश्चिम दिशा में हुल्लीकट्टे ग्राम के सर्वे सं. 100 एवं 103 से होते हुए हुल्लीक्ट्टे ग्राम के सर्वे सं. 103 एवं 98 के द्वि-जंक्शन बिन्दु से मिलती है। इस बिन्दु से रेखा द्विविभाजित होकर ग्राम सीमा पर हुल्लीक्ट्टे ग्राम के सर्वे सं. 98 और खानदेरयानाहल्ली ग्राम के सर्वे सं. 6 के द्वि-जंक्शन बिन्दु पहुँचती है। इसके बाद रेखा खानदेरयानाहल्ली ग्राम के सर्वे सं. 6, 5, 4, 3 से होते हुए दक्षिण पश्चिम दिशा में जाती है सर्वे सं. 1 एवं 3 के द्वि-जंक्शन बिन्दु से मिलती है। इसके अतिरिक्त रेखा खानदेरयानाहल्ली ग्राम के सर्वे सं. 1, 29, 28, 27, 26, 32, 33 एवं 34 से होते हुए पश्चिम दिशा की ओर जहाँ सामान्य ग्राम सीमा पर धारा सर्वे सं. 34 पर द्विभाजित होती है। इसके बाद रेखा सर्वे सं. 41,42,43,35 से होते हुए सीधी रेखा में जाती है करुरा ग्राम सर्वे सं. 49 एवं 35 के द्वि-जंक्शन बिन्दु से मिलती है, इसके बाद रेखा सर्वे सं. 49, 50, 51 से होते हुए पश्चिम की ओर सर्वे सं. 234 एवं 233 के द्वि-जंक्शन बिन्दु से मिलती है और इसके अतिरिक्त सर्वे सं. 233 पश्चिम की ओर बाहरी सीमा पर यह करुरा ग्राम के सर्वे सं. 232 पहुँचती है। इसके बाद रेखा उत्तर पश्चिम दिशा में सर्वे सं. 232 से होते हुए करुरा ग्राम के सर्वे सं. 231/क एवं 232 के जंक्शन बिन्दु से मिलती है। इसके बाद रेखा सर्वे सं. 231/क से होते हुए एवं सीधी रेखा में सामान्य ग्राम सीमा से द्विविभाजित होकर निर्देशांक उ 14^0 34' 31.86 पू 75^0 43' 31.78" के साथ बिन्दु से मिलती है और इसके अतिरिक्त उत्तर पश्चिम दिशा में निर्देशांक उ 14^{0}34'54.69" पू 75^0 43' 9.95" पहुँचती है। इसके बाद रेखा सीधी रेखा में होते हुए निर्देशांक उ 14^0 35' 6.28 पू 75^0 42' 15.76 पहुँच कर और इसके बाद उत्तर पश्चिम दिशा में पुन: सामान्य ग्राम सीमा पर हुनासीकट्टे ग्राम के सर्वे सं. 137 एवं 133 के द्वि-जंक्शन बिन्दु से मिलती है।

पश्चिम: बिन्दु के ऊपर से रेखा हुनासीकट्टे ग्राम की सर्वे सं. 137, 138, 139, 141, 169, 165 से उत्तर पश्चिम दिशा में होते हुए सर्वे सं. 165,164 एवं 163 के त्रि-जंक्शन बिन्दु से मिलती है। इसके अतिरिक्त, रेखा सर्वे सं. 163, 162, 161, 159, 158, 157, 1, 13, 12, 8, 9 एवं 10 उत्तर पश्चिम दिशा से होते हुए धारा के निकट बिन्दु तक जो हुनासीकट्टे ग्राम के सर्वे सं. 10 एवं 48 का सामान्य बिन्दु है। इस बिन्दु से रेखा सर्वे सं. 45, 44 एवं 43 से होते हुए सर्वे सं. 43, 42 एवं 38 के त्रि-जंक्शन बिन्दु से मिलती है, इसके अतिरिक्त ग्राम सीमा पर हुनासीकट्टे ग्राम की सर्वे सं. 38 एवं 37 की बाहरी सीमा से होते हुए जाती है। इसके बाद रेखा पश्चिम दिशा से

होते हुए निर्देशांक उ 140 36' 33.24 पू 750 39' 55.41, के साथ बिन्दु से मिलती है, इसके बाद रेखा निर्देशांक उ 14⁰ 36' 43.31 पू 75⁰ 39' 27.56 के साथ बिन्दु तक जाती है और इसके अतिरिक्त उत्तर पश्चिम दिशा में निर्देशांक उ 14⁰37'11.48" पू 75⁰ 39' 14.86" तक जाती है। इसके बाद रेखा सीधी रेखा में उत्तर की ओर निर्देशांक उ 14⁰ 38' 20.21" पू 75⁰ 39' 24.42" तक जाती है और इसके अतिरिक्त पश्चिम दिशा में निर्देशांक उ 14⁰ 38' 14.54" पू 75⁰ 38' 29.45" तक जाती है इसके बाद रेखा उत्तर पश्चिम दिशा में निर्देशांक उ 14⁰ 38' 39.87 पू 75⁰38' 3.57" के साथ हुल्लाथी ग्राम में धारा तक जाती है। इसके बाद सीमा उत्तर दिशा की ओर धारा के साथ सर्वे सं. 82, 83, 84, 86, 19 एवं 18 की बाहरी सीमा के साथ निर्देशांक उ 14⁰ 39' 26.99" पू 75⁰ 37' 55.06" तक जाती है और इसके अतिरिक्त निर्देशांक उ 14⁰ 39' 41.85" पू 75⁰ 37' 48.57" के साथ सर्वे सं. 6 एवं 8 के जंक्शन तक और इसके अतिरिक्त निर्देशांक उ 14⁰ 39' 54.10" पू 75⁰ 37' 45.99" के साथ ग्राम सीमा पर हुल्लाथी ग्राम के सर्वे सं. 8 एवं 9 से और इसके बाद रेखा उत्तर की ओर गुड्डाधनवेरी ग्राम की सर्वे सं. 128 एवं 129 की सामान्य सीमा के साथ निर्देशांक उ 14⁰ 40' 18.09" पू 75⁰ 37' 48.24" तक धारा के साथ जाती है। इस बिन्दु से रेखा सीधी रेखा में निर्देशांक उ 14⁰ 40' 49.15" पू 75⁰ 38' 9.59" के साथ बिन्दु पहुँचती है और इसके अतिरिक्त रेखा पूर्व की ओर निर्देशांक उ 14⁰ 40' 34.31" पू 75⁰ 39' 13.10" के साथ बिन्दु पहुँचती है, इसके बाद रेखा उत्तर की ओर जाकर बेविनाहल्ली ग्राम सीमा पर निर्देशांक उ 14⁰ 40' 50.80" पू 75⁰ 39' 7.25" के साथ बिन्दु तक जाती है। इसके बाद रेखा सर्वे सं. 48, 49, 51, 55, 56 एवं 16 के बाहरी सीमा के साथ यह सामान्य ग्राम सीमा पर बेविनाहल्ली ग्राम के सर्वे सं. 16 एवं 17 और मैधुरा ग्राम के सर्वे सं. 74 के त्रि-जंक्शन बिन्दु पहुँचती है इसके बाद रेखा सर्वे सं. 74 एवं 71 की बाहरी सीमा के साथ मैधुरा ग्राम के सर्वे सं. 71 एवं 68 के सामान्य बिन्दु तक पहुँचती है, इसके बाद रेखा सर्वे सं. 68 एवं 48 द्विविभाजित होकर मैधुरा ग्राम के सर्वे सं. 48, 45 एवं 46 के त्रि-जंक्शन बिन्दु से मिलती है, इसके बाद रेखा मैधुरा ग्राम सर्वे सं. 46, 40, 36, 31, 30, 24 एवं 19 उत्तर पूर्व दिशा में जाकर धारा पर निर्देशांक उ 14⁰ 42' 43.83" पू 75⁰ 40'16.38" के साथ बिन्दु से मिलती है, इसके बाद रेखा सर्वे सं. 18, 17, 15 एवं 14 की धारा एवं बाहरी सीमा के साथ उत्तर की ओर जाकर यह आरंभिक बिन्दु तक पहुँचती है।

खंड -II : अलालागेरी, हनुमापुर खंड

उत्तर: रेखा ग्राम सीमा पर क्रमश: अरबागोंडा और केनगोंडा ग्रामों की सर्वे सं. 70 एवं 49 के द्वि-जंक्शन बिन्दु से आरंभ होकर, इसके बाद केनगोंडा ग्राम के सर्वे. सं. 49, 53, 63 उपनिवेश 8, 10 एवं 11 के बाहरी सीमा से होते हुए ग्राम सीमा पर केनगोंडा सर्वे सं. 11 एवं 12 और काल्लेदेवरु ग्राम के सर्वे सं. 135 के जंक्शन बिन्दु पर रेखा से मिलती है। इसके बाद रेखा सर्वे सं. 135, 136, 139, 140, 208, 205, 204, 203, 202, 200, 198, 234 की बाहरी सीमा के साथ होते हुए इसके बाद सर्वे सं. 232 द्विविभाजित होकर सर्वे सं. 232 एवं 243 के द्वि-जंक्शन बिन्दु से मिलती है, इसके बाद सर्वे सं. 243, 246, 254, 255/क, 256, 299, 316, 328 की बाहरी सीमा के साथ पुन: यह काल्लेदेवरु की सर्वे सं. 328, 309/क और भरादी ग्राम के सर्वे सं. 68 के त्रि-जंक्शन बिन्दु पहुँचती है। इसके बाद रेखा सर्वे सं. 68 से द्विविभाजित होकर भरादी ग्राम सर्वे सं. 68 एवं 67 के द्वि-जंक्शन बिन्दु पहुँचती है। इस बिन्दु से रेखा सर्वे सं. 67, 60, 61 की बाहरी सीमा के साथ भरादी के सर्वे सं. 61 एवं 62 के द्वि-जंक्शन बिन्दु तक जाती है और इसके अतिरिक्त रेखा सर्वे सं. 62, 48 एवं 50 से द्विविभाजित होकर सर्वे सं. 50 एवं 51 के द्वि-जंक्शन बिन्दु से मिलती है, इसके बाद रेखा सर्वे सं. 51 की बाहरी सीमा के साथ होते हुए

भरादियांद और कुरागुंधा ग्राम की अंर्त ग्राम सीमा पर द्वि-जंक्शन बिन्दु से मिलती है। इसके बाद रेखा सर्वे सं. 96, 102, 103 की बाहरी सीमा के साथ होते हुए और इसके अतिरिक्त सर्वे सं. 109 द्विविभाजित होकर एवं सर्वे सं. 109 एवं 108 के द्वि-जंक्शन बिन्दु से मिलती है और इसके बाद रेखा सर्वे सं. 108, 76, 77 की बाहरी सीमा के साथ होते हुए सर्वे सं. 77 एवं 81 के द्वि-जंक्शन बिन्दु तक जाती है। इसके बाद रेखा सर्वे सं. 81 से द्विविभाजित होकर सर्वे सं. 81, 82 एवं 83 के त्रि-जंक्शन बिन्दु से मिलती है। इसके बाद सीमा सर्वे सं. 83, 84, 85 एवं 91 की बाहरी सीमा के साथ होते हुए कुरुगुंधा ग्राम के सर्वे सं. 91 एवं 87 के द्वि-जंक्शन बिन्दु से मिलती है।

पूर्व : इसके बाद बिन्दु के ऊपर से सीमा रेखा कुरागुंधा ग्राम के सर्वे सं.91 के बाहरी सीमा के साथ दक्षिण की ओर जाकर हनुमापुरा ग्राम के सर्वे सं. 16 की अंर्त ग्राम सीमा से मिलती है। इसके अतिरिक्त, रेखा सर्वे सं. 16, 10, 114/1 की बाहरी सीमा के साथ से होते हुए सर्वे सं. 114/1 एवं 115 के द्वि-जंक्शन बिन्दु से मिलती है एवं इसके अतिरिक्त सर्वे सं. 115 एवं 116 की आंतरिक सीमा के साथ हनुमापुरा ग्राम के सर्वे सं. 116 एवं 100 के द्वि-जंक्शन बिन्दु से मिलती है। इसके बाद रेखा सर्वे सं. 100, 99, 98, 77, 76, 75, 74 एवं 73 की बाहरी सीमा के साथ यह हनुमापुर ग्राम की सर्वे सं. 73 एवं वाई.टी हुन्नाथी ग्राम की सर्वे सं. 88 के अंर्त ग्राम सीमा के द्वि-जंक्शन बिन्दु तक पहुँचती है। इसके बाद सीमा वाई.टी हुन्नाथी ग्राम की सर्वे सं. 88 एवं 91 की बाहरी सीमा के साथ सर्वे सं.90 एवं 91 की द्वि-जंक्शन बिन्दु से मिलती है। इसके बाद रेखा सर्वे सं.81 एवं 78 से द्विविभाजित होकर दक्षिण की ओर जाकर सर्वे सं.78 एवं 67 के द्वि-जंक्शन बिन्दु से मिलती है और इसके अतिरिक्त रेखा सर्वे सं. 67, 33 की बाहरी सीमा के साथ और सर्वे सं. 36 के दक्षिण पूर्व कोण तक जाती है।

दक्षिण: बिन्दु के ऊपर से सीमा रेखा दक्षिण पश्चिम दिशा के साथ और सर्वे सं. 36, 48 की बाहरी सीमा के साथ जाती है। इसके बाद सर्वे. सं. 48 के दक्षिण पश्चिम कोण से सीमा सीधी रेखा में दक्षिण पश्चिम दिशा में जाती है। जब रेखा बुदाप्पानाहल्ली ग्राम की सीमा पहुँचती है, यह हवेरी और बयादगी तालुक की अंर्त तालुक सीमा के साथ अभयारण्य की ओर जीपीएस निर्देशांक उ 14.72400 पू 75.59780 तक जाती है। इसके बाद रेखा पश्चिम दिशा सामांतर 100 मीटर की दूरी पर अभयारण्य सीमा के साथ बुदाप्पानाहल्ली ग्राम के जीपीएस निर्देशांकों उ 14.723723 पू 75.587772, उ 14.726738 पू 75.580106, उ 14.725186 पू 75.575637, उ 14.723122 पू 75.570683, उ 14.716121 पू 75.570683, उ 14.716121 पू 75.564743, उ 14.717866 पू 75.561884, उ 14.714084 पू 75.563204, उ 14.714561 पू 75.558261, उ 14.712524 पू 75.552800, उ 14.709701 पू 75.550841, उ 14.707240 पू 75.552332 के साथ जाकर और खजरी ग्राम में पुन: जीपीएस निर्देशांक उ 14.699601 पू 75.552991, उ 14.693362 पू 75.553726 के साथ जाती है। जब रेखा ककोला ग्राम सीमा पहुँचती है यह दक्षिण दिशा में जाकर और ककोला ग्राम की सर्वे. सं . 48, 47, 43, 42, 54, 55, 25, 24 एवं 23 की बाहरी सीमा के साथ जाकर ककोला और छतरा ग्राम की अंर्त ग्राम सीमा से मिलती है।

पश्चिम: इसके बाद रेखा 100 मीटर की दूरी पर अभयारण्य सीमा के सामांतर क्रमश: छतरा, मुतेबेन्नुरु और अलालागेरी ग्रामों के जीपीएस निर्देशांकों उ 14.701375 पू 75.546834, उ 14.702930 पू 75.538969, उ 14.702950 पू 75.537883, उ 14.700803 पू 75.528015, उ14.703813 पू 75.528064,

उ14.703813 पू 75.528064, उ 14.716967 पू 75.524995, उ 14.717273 पू 75.533443, उ 14.723206 पू 75.539963, उ 14.731061 पू 75.538423, उ 14.731620 पू 75.534158, उ 14.733900 पू 75.524621, उ 14.736109 पू 75.523438, उ 14.736759 पू 75.515152, उ 14.735843 पू 75.511998, उ 14.737149 पू 75.510399, उ 14.737517 पू 75.506016 के साथ जाती है, यह अरबागोंडा ग्राम की ग्राम सीमा तक पहुँचती है। इसके बाद रेखा सर्वे सं. 19,18,15,14,13,12, 9, 8, 7, 34, 35, 37, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 50,51, 52 एवं 53 से उत्तर की ओर जाकर जहाँ सर्वे सं. 53 एवं 58 बिन्दु तक मिलती है इसके अतिरिक्त सर्वे सं. 58 एवं 59 की बाहरी सीमा के साथ पुन: जाकर, इसके बाद सर्वे सं. 59 एवं 60 के सामान्य बिन्दु से रेखा सर्वे सं. 60, 61 से सर्वे सं. 61 एवं 69 के द्वि-जंक्शन बिन्दु जाती है और इसके अतिरिक्त अरबागोंडा के सर्वे सं. 69 एवं 70 की बाहरी सीमा के साथ रेखा आरंभिर बिन्दु तक मिलती है।

उपाबंध **II**

रानेबेन्नूर ब्लैकबक अभयारण्य के चारों ओर पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची

खंड -1 : हुल्लाट्टी-हुनसीकट्टी खंड

मानचित्र आई डी	**ग्राम के नाम**	**प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन की चौड़ाई**	**तालुक**	**भू-मंडलीय स्थिति प्रणाली के निर्देशांक**	**विस्तार-क्षेत्र (हेक्टे में)**
1	यत्तिनहल्ली	आंशिक गांव	रानेबेन्नूर	उ: 14⁰ 43’ 34” पू: 75⁰ 39’ 52”	55.36
2	कुदरीहाल	आंशिक गांव	रानेबेन्नूर	उ: 14⁰ 43’ 46” पू: 75⁰ 41’ 42”	628.30
3	हिलाधल्ली	आंशिक गांव	रानेबेन्नूर	उ: 14⁰ 42’ 24” पू: 75⁰ 43’ 09”	328.31
4	अंकसापुर	आंशिक गांव	रानेबेन्नूर	उ: 14⁰ 41’ 13” पू: 75⁰ 42’ 25”	180.30
5	मेदलेरी	आंशिक गांव	रानेबेन्नूर	उ: 14⁰ 40’ 02” पू: 75⁰ 43’ 57”	655.80
6	मैदुरु	आंशिक गांव	रानेबेन्नूर	उ: 14⁰ 42’ 37” पू: 75⁰ 39’ 33”	396.74
7	बेविनहल्ली	आंशिक गांव	रानेबेन्नूर	उ: 14⁰ 41’ 36”	276.00

				पू: 75⁰ 39’ 23”	
8	दोमबरहल्ली	संपूर्ण गांव	रानेबेन्नूर	उ: 14⁰ 40’27” पू: 75⁰ 40’ 20”	174.43
9	गंगापुर	संपूर्ण गांव	रानेबेन्नूर	उ: 14⁰ 40’ 44” पू: 75⁰ 39’ 16”	240.51
10	कंकापुर	आंशिक गांव	हवेरी	उ: 14⁰ 45’ 26” पू: 75⁰ 24’ 21”	27.65
11	गुदादनवारी	आंशिक गांव	रानेबेन्नूर	उ: 14⁰ 40’ 15” पू: 75⁰ 36’ 50”	134.10
12	हुल्लात्ती	आंशिक गांव	रानेबेन्नूर	उ: 14⁰ 39’ 25” पू: 75⁰ 38’ 17”	435.43
13	कनागोनदालहल्ली	आंशिक गांव	रानेबेन्नूर	उ: 14⁰ 38’ 39” पू: 75⁰ 39’ 31”	290.42
14	रानेबेन्नूर	आंशिक गांव	रानेबेन्नूर	उ: 14⁰ 37’ 14” पू: 75⁰ 37’ 43”	479.42
15	हुनासिकट्टी	आंशिक गांव	रानेबेन्नूर	उ: 14⁰ 36’ 26” पू: 75⁰ 47’ 52”	523.90
16	रवातनकट्टी	संपूर्ण गांव	रानेबेन्नूर	उ: 14⁰ 37’ 31” पू: 75⁰ 42’ 11”	563.91
17	याकलासपुर	आंशिक गांव	रानेबेन्नूर	उ: 14⁰ 38’ 00” पू: 75⁰ 44’ 00”	592.35
18	माल्लापुर	आंशिक गांव	रानेबेन्नूर	उ: 14⁰ 38’ 08” पू: 75⁰ 45’ 28”	269.30
19	हिराबिदारी	आंशिक गांव	रानेबेन्नूर	उ: 14⁰ 38’ 09” पू: 75⁰ 48’ 25”	21.52

20	ऐरानी	आंशिक गांव	रानेबेन्नूर	उ: 14⁰ 36' 26" पू: 75⁰ 47' 52"	994.50
21	हुलीकट्टी	आंशिक गांव	रानेबेन्नूर	उ: 14⁰ 33' 20" पू: 75⁰ 46' 42"	33.10
22	खनदेरायानहल्ली	आंशिक गांव	रानेबेन्नूर	उ: 14⁰ 34' 15" पू: 75⁰ 46' 14"	184.58
23	करुर	आंशिक गांव	रानेबेन्नूर	उ: 14⁰ 33' 41" पू: 75⁰ 44' 22"	339.32
24	छालागेरी	आंशिक गांव	रानेबेन्नूर	उ: 14⁰ 34' 05" पू: 75⁰ 43' 12"	429.17
कुल क्षेत्र हेक्टेयर में:					**8254.42**

<u>खंड-2: अलालागेरी हनुमापुरा खंड</u>

मानचित्र आई डी	**ग्राम के नाम**	**प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन की चौड़ाई**	**तालुक**	**भू-मंडलीय स्थिति प्रणाली के निर्देशांक**	**विस्तार-क्षेत्र (हेक्टे में)**
1	अराबगोंद	आंशिक गांव	बयादगी	उ: 14⁰ 45' 01" पू: 75⁰ 29' 45"	309.29
2	केनगोंदा	आंशिक गांव	बयादगी	उ: 14⁰ 45' 52" पू: 75⁰ 30' 38"	341.65
3	कातेनहल्ली	आंशिक गांव	रानेबेन्नूर	उ: 14⁰ 46' 42" पू: 75⁰ 29' 52"	3.22
4	काल्लेदेवार	आंशिक गांव	रानेबेन्नूर	उ: 14⁰ 45' 52" पू: 75⁰ 32' 46"	770.05
5	भारदी	आंशिक गांव	हवेरी	उ: 14⁰ 46' 59"	151.25

				पू: 75⁰ 33’ 55”	
6	कुरुगुण्द	आंशिक गांव	हवेरी	उ: 14⁰ 47’ 10” पू: 75⁰ 35’ 33”	339.67
7	हुनमापुर	आंशिक गांव	रानेबेन्नूर	उ: 14⁰ 45’ 12” पू: 75⁰ 36’ 39”	442.63
8	बुदपानहल्ली	100 मीटर	बयादगी	उ: 14⁰ 42’ 56” पू: 75⁰ 37’ 32”	147.03
9	अलालगेरी	100 मीटर	रानेबेन्नूर	उ: 14⁰ 43’ 38” पू: 75⁰ 31’ 07”	77.6
10	मोतेबान्नुर	100 मीटर	रानेबेन्नूर	उ: 14⁰ 42’ 54” पू: 75⁰ 28’ 48”	31.00
11	छतरा	100 मीटर	रानेबेन्नूर	उ: 14⁰ 41’ 43” पू: 75⁰ 31’ 40”	26.01
12	काकोल	आंशिक गांव	रानेबेन्नूर	उ: 14⁰ 40’ 43” पू: 75⁰ 32’ 50”	121.89
13	कजारी	100 मीटर	रानेबेन्नूर	उ: 14⁰ 40’ 15” पू: 75⁰ 34’ 28”	5.99
14	येल्लापुर	आंशिक गांव	रानेबेन्नूर	उ: 14⁰ 44’ 05” पू: 75⁰ 38’ 12”	252.81
कुल क्षेत्र हेक्टेयर में:					**3020.09**

पारिस्थितिक संवेदी जोन का कुल क्षेत्रफल: **11274.51** हेक्टेयर

उपाबंध-III

रानेबेन्नूर ब्लैकबक अभयारण्य के चारों ओर पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र

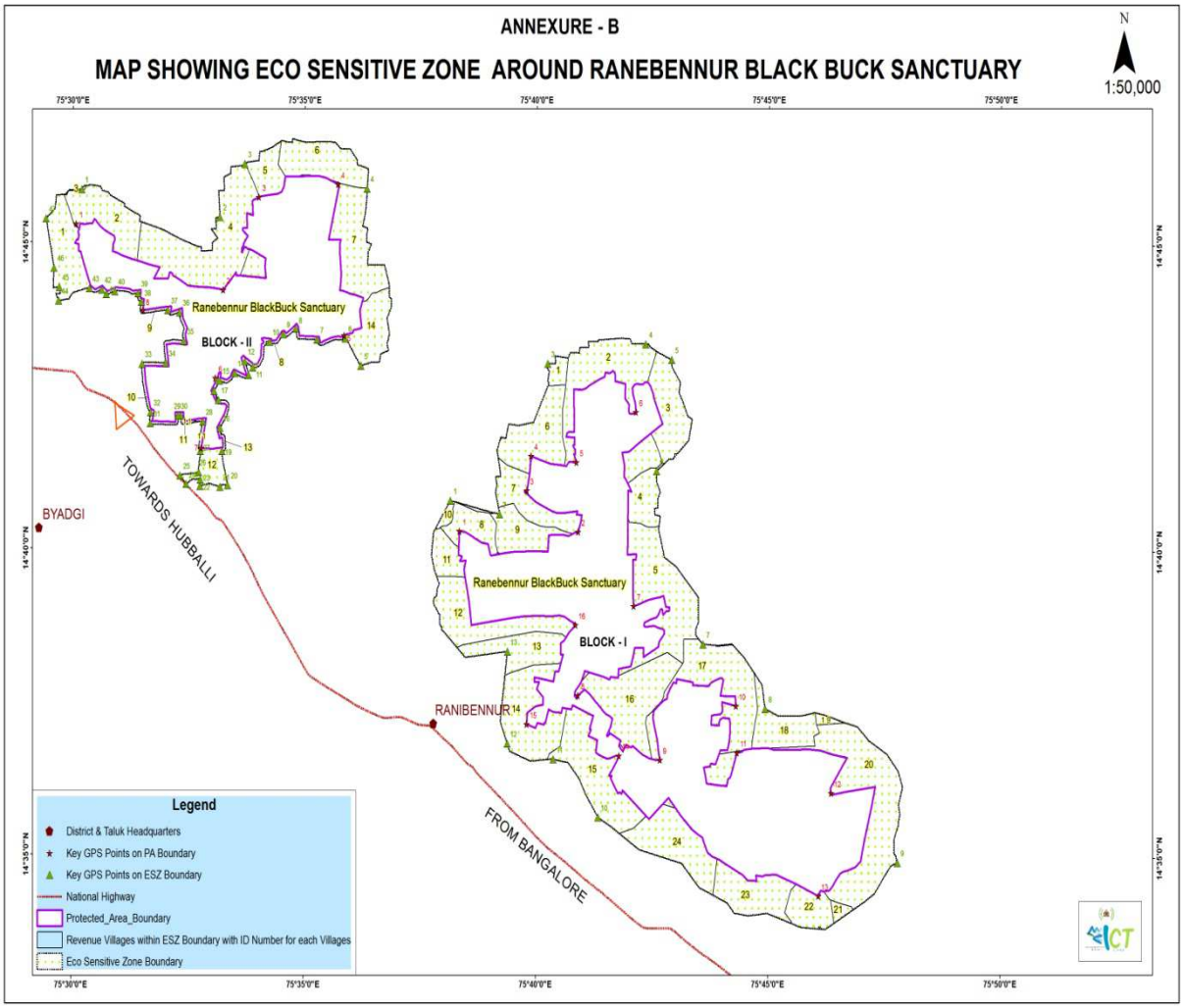

उपाबंध-IV

रानेबेन्नूर ब्लैकबक अभयारण्य के चारों ओर पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा पर प्रमुख बिंदुओं के भू-निर्देशांकों को दर्शाने वाली सारणी

खंड-1 हुल्लाट्टी-हुनसीकट्टी खंड

मानचित्र आई.डी	देशांतर			अक्षांश		
	डिग्री	मिनट	सैकेंड	डिग्री	मिनट	सैकेंड
1	75	38	8.89	14	40	48.35
2	75	39	12.28	14	40	35.14
3	75	40	14.41	14	43	2.79

4	75	42	20.83	14	43	22.31
5	75	42	54.47	14	43	8.61
6	75	42	35.27	14	41	17.83
7	75	43	35.86	14	38	28.15
8	75	44	56.16	14	37	25.11
9	75	47	47.00	14	34	54.77
10	75	41	20.20	14	35	38.35
11	75	40	22.61	14	36	35.37
12	75	39	22.90	14	36	50.47
13	75	39	23.08	14	38	20.48

खंड -2 : अलालागेरी हनुमापुरा खंड

मानचित्र आई.डी	देशांतर			अक्षांश		
	डिग्री	मिनट	सैकेंड	डिग्री	मिनट	सैकेंड
1	75	30	11.67	14	45	51.95
2	75	33	10.12	14	45	25.39
3	75	33	42.14	14	46	17.56
4	75	36	20.31	14	45	53.59
5	75	36	12.83	14	42	59.99
6	75	33	42.78	14	43	4.32
7	75	32	47.02	14	41	8.47
8	75	32	48.60	14	42	4.95
9	75	31	28.64	14	44	2.04

रानेबेन्नूर ब्लैकबक अभयारण्य की सीमा पर प्रमुख बिंदुओं के भू- निर्देशांकों को दर्शाने वाली सारणी

खंड1-हुल्लाट्टी-हुनसीकट्टी खंड

मानचित्र आई.डी	अक्षांश			देशांतर		
	डिग्री	मिनट	सैकेंड	डिग्री	मिनट	सैकेंड
1	14	40	18.48	75	38	20.76
2	14	40	18.12	75	40	54.12
3	14	40	58.44	75	39	47.88
4	14	41	32.28	75	39	52.92
5	14	41	26.16	75	40	51.60
6	14	42	15.84	75	42	8.28
7	14	39	5.76	75	42	5.76
8	14	37	37.92	75	40	53.76
9	14	36	34.92	75	42	40.32
10	14	37	28.20	75	44	18.24
11	14	36	42.12	75	44	19.68
12	14	36	2.52	75	46	21.72
13	14	34	21.72	75	46	5.16
14	14	36	38.88	75	41	47.40
15	14	37	9.48	75	39	48.24
16	14	38	46.68	75	40	50.52

खंड -2 : अलालागेरी हनुमापुरा खंड

मानचित्र आई डी	अक्षांश			देशांतर		
	डिग्री	मिनट	सैकेंड	डिग्री	मिनट	सैकेंड
1	14	45	18.00	75	30	4.68
2	14	44	13.20	75	33	14.40
3	14	45	45.00	75	34	0.48
4	14	45	57.96	75	35	42.72
5	14	43	29.64	75	35	51.36
6	14	42	47.16	75	33	4.68
7	14	41	39.12	75	32	46.68
8	14	43	53.40	75	31	30.72

उपाबंध V

पारिस्थितिक संवेदी जोन निगरानी समिति - की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।

2. बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें ।

3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना।

4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश ।

5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों की संवीक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।

6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों की संवीक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।

7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश ।

8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th July, 2017

S.O. 2147(E).—WHEREAS, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification of the Government of the India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 64 (E), dated the 7th January, 2016, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS, copies of the Gazette containing the said draft notification were made available to the public on dated the 7th January, 2016;

AND WHEREAS, no objections and suggestions were received from persons and stakeholders in response to the aforesaid draft notification;

AND WHEREAS, the Ranebennur Blackbuck Sanctuary notified vide Government of Karnataka notification No.AFD 58 FWL 74, dated the 17th June, 1974 and situated in Ranebennur, Haveri and Byadgi Taluks of Haveri District in the State of Karnataka lies between the North latitude 14^0 34' and 14^0 46' and between the East longitude 75^0 30' and 75^0 47' and is spread over an area of 119 square kilometers and the area is covered mainly by scrub forest and Eucalyptus plantations.

AND WHEREAS, the vegetation consists of Acacia catechu, Prosopis juliflora, Dodonea viscosa, Acacia sundra, Zizyphus mauritiana, Randia specia and Cassia auriculata, Cassia fistula, Neem (Azadirachta indica), Holoptelia integrifolia, Madhuca indica, Ficus specia and Bamboo have been planted along the Sanctuary's roads; the Sanctuary is known for its Blackbuck and Wolf populations and other mammals include Wild Pig, Fox, Jackal, Langur, Porcupine, Common mongoose, Hare, and Pangolin; Hyenas are also found in the Irani gudda area of the Sanctuary; the population of Blackbuck has seen a constant increase since the establishment of the Sanctuary and the Great Indian Bustard, a large cursorial bird, also used to be sighted in the short grass plains of the Sanctuary till the year 2005 and apart from the Great Indian Bustard, avifauna in the Sanctuary includes Peafowl, Cuckoo, Grey Babbler, Shrike, Black Drongo, Grey Partridge, Sand Grouse, Bush Quail and many others.

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of which are specified in paragraph 1 of this notification around the protected area of Ranebennur Blackbuck Sanctuary as Eco-sensitive Zone from ecological and environmental point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone.

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub section(1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent varying from 100 meters to 4.60 kilometers around the boundary of Ranebennur Blackbuck Sanctuary in the State of Karnataka as the Ranebennur Blackbuck Sanctuary Eco-sensitive Zone (hereinafter referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

1. **Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone.—** (1) The Eco-sensitive Zone is spread over an area of 112.74 square kilometers with an extent varying from 100 meters to 4.60 kilometers around the boundary of Ranebennur Blackbuck Sanctuary and the boundary description of the said Zone is given in **Annexure-I**.

(2) The list of 38 villages falling within Eco-sensitive Zone along with Geo-coordinates of prominent points is appended as **Annexure-II**.

(3) The map of the Eco-sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes is appended as **Annexure-III.**

(4) The Geo-coordinates of major points on the Eco-sensitive Zone boundary as well as on the Sanctuary boundary are appended as **Annexure-IV.**

2. **Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone.- (1)** The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone, prepare a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of Competent Authority in the State Government.

(2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following State Departments, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:-

(i) Environment;
(ii) Forest and Wildlife;
(iii) Agriculture;
(iv) Revenue;
(v) Urban Development;
(vi) Tourism;
(vii) Rural Development;
(viii) Irrigation and Flood Control;
(ix) Municipal;
(x) Panchayati Raj;
(xi) Public Works Department.

(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies with supporting maps and the Plan shall be supported by maps giving details of existing and proposed land use features.

(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited and regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for livelihood security of local communities.

(8) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. **Measures to be taken by State Government.-** The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) Landuse.- Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or industrial related development activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the State Government to meet the residential needs of the local residents, and for activities such as :-

(i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;
(ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;
(iii) small scale industries not causing pollution;
(iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and
(v) promoted activities given in paragraph 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph:

Provided also that there shall be no consequential reduction in green area, such as forest area and agriculture area and efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) Natural water bodies.- The catchment areas of all natural springs, rivers and channels shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) **Tourism.-**

(a) The activity relating to tourism within the Eco-Sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan, which shall form part of the Eco-sensitive Zone.

(b)The Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism, Government of Karnataka in consultation with the Departments of Environment and Forest, Government of Karnatak.

(c) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) no new construction of hotels and resorts shall be allowed within one kilometer from the boundary of the Ranebennur Blackbuck Sanctuary or upto the extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer:

Provided that beyond the distance of one kilometer from the boundary of the said Sanctuary till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be permitted only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

(ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development and based on carrying capacity study of the Eco-sensitive Zone;;

(iii) till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee.

(4) Natural heritage.- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

(5) Man-made heritage sites.- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part Zonal Master Plan.

(6) Noise pollution.- Prevention and Control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Noise Pollution (Regulation And Control) Rules, 2000 made under the Environment (Protection) Act, 1986.

(7) Air pollution.- Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.

(8) Discharge of effluents.- Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environmental (Protection) Act, 1986 and rules made thereunder or standards stipulated by State Government whichever is more stringent.

(9) Solid wastes.- Disposal and management of solid wastes shall be as under:-

(a) the solid waste disposal and management in Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of Solid Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change vide notification number S.O. 1357 (E), dated 8th April, 2016 as amended from time to time;

(b) the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components;

(c) the biodegradable material shall be recycled preferably through composting or vermiculture;

(d) the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone and no burning or incineration of solid wastes and establishment of landfills shall be permitted in the Eco-sensitive Zone.

(10) Bio-medical waste.- Bio medical waste management shall be as under:-

(a) the bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provision of the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number GSR 343 (E), dated the 28th March, 2016 as amended from time to time;

(b)no common treatment facility or incineration shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.

(11) Plastic waste management.- The plastic waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time.

(12) Construction and demolition waste management.- The construction and demolition waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

(13) E-waste.- The E- waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and as amended from time to time.

(14) Vehicular traffic.- The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) Vehicular Pollution.- Prevention and control of vehicular pollution shall be carried out in accordance with the applicable laws and efforts shall be made for use of cleaner fuel for example CNG etc.

(16) Industrial units: (a) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be allowed to be set up within the Eco-sensitive Zone.

(b) Only non-polluting industries may be allowed within Eco-sensitive Zone as per the classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless otherwise specified in this notification.

(17) Protection of hill slopes.- The protection of hill slopes shall be as under:-

(a) the Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted;

(b) no construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall be permitted.

4. List of activities prohibited or to be regulated within Eco-sensitive Zone.-

All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone (CRZ), 2011 and the Environmental Impact Assessment (EIA) Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S No	Activity	Remarks
(1)	(2)	(3)
		A. Prohibited Activities
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for personal consumption. (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated the 4th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated the 21st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting of industries causing pollution (water, air, soil, noise, etc.).	No new industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall be permitted, only non-polluting industries may be permitted within Eco-sensitive Zone as per the classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless otherwise specified in this notification.
3.	Establishment of major hydroelectric project.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Establishment of solid waste disposal site and common incineration facility for solid and bio medical waste.	No new solid waste disposal site and waste treatment/processing facility of solid waste shall be permitted within Eco-sensitive Zone, and installation of common or individual incineration facility for treatment of any form of solid waste generated from industrial process and health establishment or hospitals shall be prohibited.
7.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, companies, etc.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws except for meeting local needs.
8.	Setting of new saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
9.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws
10.	Commercial use of fire wood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws
		B. Regulated Activities
11.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometre of the boundary of the Protected Area or upto the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for eco-tourism activities: Provided that, beyond one kilometre from the boundary of the Protected Area or upto the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
12.	Construction activities.	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one kilometre from the boundary of the Protected Area or upto extent of the Eco-sensitive Zone, whichever is nearer: (a) Provided that, local people shall be permitted to undertake

		construction in their land for their residential use including the activities listed in sub paragraph (1) of paragraph 3, as per building byelaws: (i) Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads; (ii) Construction and renovation of infrastructure and civic amenities; (iii) Small scale industries not causing pollution termed as per Classification done by Central Pollution Control Board of February 2016; (iv) Cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stays; and (v) Promoted activities listed in this Notification. (b) Provided futher that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (c) Beyond one kilometre it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
13.	Small scale non polluting industries.	Non polluting industries as per the classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone may be permitted by the Concerned Competent Authority.
14.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.
15.	Collection of Forest Produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.
16.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable law (underground cabling may be promoted).
17.	Infrastructure including civic amenities.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
18.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
19.	Undertaking other activities related to tourism like over flying the Eco-sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated under applicable law.
20.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated under applicable laws.

21.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
22.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted under applicable laws for use of locals.
23.	Discharge of treated waste water/effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water/effluents shall be avoided to enter into the water bodies and efforts shall be made to recycle and reuse the treated waste water, and the discharge of treated waste water/effluent shall be regulated as per applicable laws.
24.	Commercial extraction of surface and ground water	Regulated under applicable laws.
25.	Open well, bore well etc. for agriculture or other usage.	Regulated and the activity shall be monitored by the concerned authority.
26.	Solid waste management.	Regulated under applicable laws.
27.	Introduction of exotic species.	Regulated under applicable laws.
28.	Eco-tourism.	Regulated under applicable laws.
29.	Use of polythene bags.	Regulated under applicable laws.
30.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
C. Promoted Activities		
31.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
32.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
33.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
34.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
35.	Use of renewable energy and fuels.	Bio gas, solar light, etc. shall be actively promoted.
36.	Agro-forestry.	Shall be actively promoted.
37.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
38.	Skill development.	Shall be actively promoted.
39.	Restoration of degraded land/ forests/ habitat.	Shall be actively promoted.
40.	Environmental awareness.	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee: — (1) In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee for a period of three years, for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone, which shall comprise of, namely:-

(a) Regional Commissioner, Belagaavi -Chairman;
(b) Member of Legislative Assembly, Ranebennur -Member;
(c) Member of Legislative Assembly, Haveri -Member;
(d) Member of Legislative Assembly, Byadgi -Member;
(e) Regional officer, Karnataka State Pollution Control Board -Member;
(f) Representative of the Department of Environment, Government of Karnataka -Member;
(g) Representative of the Department of Urban Development, Government of Karnataka -Member;

(h) A representative of Non Governmental Organization working in the field of, environment to be nominated by the Government of Karnataka for a period of three years in each case -Member;

(i) An expert in the area of ecology and environment to be nominated by the Government of Karnataka for a period of three years in each case -Member;

(j) Deputy Commissioner or his representative, Haveri District -Member;

(k) Member, State Biodiversity Board -Member;

(l) Assistant Conservator of Forests, Ranebennur Blackbuck Sanctuary, Wildlife Sub-Division, Ranebennur –Member Secretary.

*(Subject to the State Government of Karnataka obtaining relevant approvals *inter alia* including permission from the Speaker of Legislative Assembly, Karnataka, if required).

6. Terms of reference.- (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(2) The tenure of the Monitoring Committee shall be for a period of three years.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(5) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector(s) or the concerned park Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden of the State as per pro- forma appended at **Annexure-V.**

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to the provisions of this notification.

8. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

[F. No. 25/136/2015-ESZ]
LALIT KUMAR, Scientent 'G'

ANNEXURE – I

Boundary description of Eco-sensitive Zone around Ranebennur Blackbuck Sanctuary

Block-I :Hullatti Hunasikatti Block

North : The boundary line starts a point on the stream at north-west corner of Sy. No. 9 of Mydhura village with co-ordinates N 14^0 43' 2.47 E 75^0 40' 14.26 and passes eastwards till the bi-junction point on 14 & 13. Then the line continuous along outer boundary of Sy Nos. 13, 94 and further northwards along the inter village boundary of Sy No. 94 & 95 Kudrihala village till it reaches bi-junction point of Sy. No. 82 of Mydhura village Sy No. 95 of Kudrihala on the common village boundary. Then the line runs along outer boundary of Sy Nos. 95, 105, 104, 111, 112, 114 till it

reaches common point of Sy Nos. 114 & 125 of Kudrihala Village. Then line proceeds eastwards to a point to the nearby settlement with co-ordinates N 14^0 43' 26.72 E 75^0 41' 47.41, then the line proceeds eastwards across Sy. No. 10 of Kudrihala village and further runs along outer boundary of Sy. No. 6 & 9 until it reaches a small stream on Sy. No. 9, then the line passes eastwards across Sy. No. 14, 15 and further line runs along inner boundary of Thungabhadra river till a point with co-ordinates N14^0 43' 13.88 E 75^0 42' 53.05.

East : From the above point the line descends south to reach northern tip of Sy No. 101 of Heeladahalli village, then proceeds south eastwards to reach the bi-junction point of Sy Nos. 108 & 107 and passes along outer boundary of Sy No. 108, further bisects Sy. No. 107 to tri-junction point of Sy. No. 106, 60 & 61. Then the line bisects Sy No. 61 diagonally in south-east direction & further bisects Sy No. 62 to reach bi-junction point of Sy Nos. 62 & 61 and then line passes along outer boundary of Sy Nos. 65 & 66. Then the line bisect Sy No. 67 to reach a point on inter village boundary of Heeladahalli and Udhaghatta village with co-ordinates N 14^0 41' 57.08 E 75^0 43' 17.32" Then the line precedes southwards bisecting Sy Nos. 53 & 52, from this point the line runs in south-west direction to reach bi-junction point of Sy. No. 52 & 51, from this the line runs in south-west direction to reach tri-junction point of Sy Nos. 29/1 of Ankasapura Village, Sy Nos. 46 & 45 of Udhaghatta village on the inter village boundary of Udhaghatta&Ankasapura villages. Then the line passes southwards along Sy No. 45 of Udhaghata village on village boundary, then from the southwest tip of Sy No. 29/1 of Ankasapura, the line runs westwards till where the Sy. Nos. 29/1 & 29/2 of Ankasapura village meet. From their point the line run in southwest direction till the bi-junction point of Sy Nos. 17/2 & 22. Then the line proceeds southwards to reach the bi-junction point of Sy Nos. 18/4 &43/1, then bisects Sy Nos. 43/1 & the adjacent settlement till the southwest tip. Then the line proceeds southwards along outer boundary of Sy. Nos. 44/4 to meet bi-junction point of Sy. Nos. 43/3 & 44/4 on the inter village boundary of Ankasapura and Medleri village. Then the boundary line passes along outer boundary of Sy. No. 124, 126 of Madleri village meet at tri-junction point of Sy. Nos. 126, 74 & 73. Then the line passes in south-east direction across Sy. Nos. 73, 72, 71 to meet at junction of Sy. Nos. 71 & 64, then further continuous along outer boundary of Sy No. 64 at bi-junction point of Sy Nos. 64 & 63. Then the line proceeds in south-east direction bisecting Sy Nos. 63, 61, 55 to meet at common point of Sy Nos. 55 & 51 of Medleri village. Further, the line passes south-east wards bisecting Sy Nos. 51, 50, 421, 420, 417, stream & 418 to meet at bi-junction point of Sy Nos. 418 & 342.

Then the line continuous southwards bi-sectingSy Nos. 345, 347, 344 to meet at bi-junction point of Sy Nos. 344 & 366 and further passes along outer boundary of Sy Nos. 366, 356 at the tri-junction point of Sy Nos. 356 & 357 of Medleri Village and Sy No. 109 of Yaklaspura village. Then the line passes in south-east direction bisecting Sy Nos. 109, 110 to meet common point of Sy Nos. 110 & 106. Then line continuous on the northern part of Sy No. 106 & further passes eastwards along the outer boundary of Sy. Nos. 113, 114, 117, 118 till it reaches bi-junction point of Sy Nos. 118 & 119 of Yaklaspura, then the line passes south-east wards bisecting Sy Nos. 119, 120, 142 to meet at bi-junction point of Sy Nos.142 & 140. From this point the line runs in south-east ward direction bisecting Sy Nos. 140, 137, 25, 26 of Yaklaspura to meet at bi-junction point of Sy Nos. 26 & 28. Then further line passes bisecting Sy Nos. 28, 29, 30 of Yaklaspura to reach inter village boundary at tri-junction point of Sy Nos. 30 & 38 of Yaklaspura village &Sy No. 201 of Aremallapura village. Then line continuous in south-east direction bisecting Sy Nos. 201 & 200 of Aremallapura village to reach the tri-junction point of Sy Nos. 200, 193 & 194. Then the line passes along the outer boundary of Sy. Nos. 194, 196, 181, 179, 176, 175 to meet the bi-junction point of Sy Nos. 175 & 167, from this point the line bisects Sy. Nos. 167 & 166 to reach a point with co-ordinates N 14^0 37' 17.81 E 75^0 46' 17.75 on the common village boundary. Then the line passes in a straight line till the point with co-ordinates N 14^0 37' 10.56 E 75^0 46' 40.40 at the village boundary of Airani village at the bi-junction point of Sy. Nos. 334 & 335. Then the line passes bisecting the Sy. Nos. 335, 350 of Airani village to meet bi-junction point of Sy. Nos. 350 & 347, further the line proceeds in south-east direction across Sy. Nos. 347, 348, 349, 343, 342, 218, 217 & 218 till the bi-junction of Sy Nos. 218 & 219, then the line runs south-east ward directions across the Sy Nos. 219, 223, 224, 236 & 235 to meet the tri-junction point of Sy Nos. 235, 234 & 233 of Airani village. Then the line continuous in south-east ward direction across Sy Nos. 233, 232, 201 to meet bi-junction point of Sy Nos. 201 & 197 and further proceeds across Sy Nos. 197, 198, 15 & 16 to meet at bi-junction point of 15 & 16 at a stream. Then the line runs across Sy Nos. 8, 7 & 19 to meet at bi-junction point of Sy Nos. 19 & 21 and further line runs along the outer boundary of Sy Nos. 21, 22, 25, 26, 30, 29 at 36 till the eastern most tip of Sy No. 36 of Airani village

South: From the above point the boundary line runs across Sy Nos. 37,40,135,134,133,132 insouth-west direction to meet at tri-junction point of Sy Nos. 132,144 & 145 of Airani village. Then the line proceeds across Sy Nos. 145 & 146 of Airani village to meet at the tri-junction of Sy Nos. 146 & 147 of Airani village &Sy No. 100 of Hulikatte village along the inter village boundary of Hulikatte and Airani villages. Then the line passes across Sy Nos. 100 & 103 of Hulikatte village in south-west direction to meet at bi-junction point of Sy Nos. 103 &98 ofHulikatte village. From this point the line bisects to reach bi-junction point of Sy No. 98 of Hulikatte village & Sy No. 6 of Khanderayanahalli village on the village boundary. Then the line runs in south-west direction across Sy Nos. 6, 5, 4, 3 of Khanderayanahalli village to meet at bi-junction point of Sy Nos. 1 & 3. Further the line runs in westward direction across Sy Nos. 1, 29, 28, 27, 26, 32, 33 & 34 of Khanderayanahalli village at whereSy Nos. 34 bisects the stream on the commonvillage boundary. Then the line passes in a straight line across Sy Nos. 41,42,43,35 to meet at bi-junction

point of Sy Nos. 49 & 35 of Karura village, then the line continuous westwards across Sy Nos. 49, 50, 51 to meet at bi-junction point of Sy Nos. 234 &233 and further runs on outer boundary westwards of Sy Nos. 233 till it reaches the Sy Nos. 232 ofKaruravillage. Then line runs across Sy Nos. 232 in north-west direction to meet the junction point of Sy Nos. of 231/A & 232 of Karura village. Then the line runs across Sy No. 231/A & bisects the common village boundary in straight line to meet the point with co-ordinates N 14^0 34' 31.86 E 75^0 43' 31.78"and further runs in North West direction to reach co-ordinate N $14^0$34'54.69" E 75^0 43' 9.95". Then the line passes in straight line to reach co-ordinate N 14^0 35' 6.28 E 75^0 42' 15.76 and then continuous in north-west direction to meet bi-junction point of Sy Nos. 137 & 133 of Hunasikatte village on the common village boundary.

West: From the above point the line runs in north-west direction across Sy Nos. 137, 138, 139, 141, 169, 165 of Hunasikatte village to meet at tri-junction point of Sy Nos. 165,164 & 163. Further, the line runs in north-west direction across Sy Nos. 163, 162, 161, 159, 158, 157, 1, 13, 12, 8, 9 & 10 till the point on the nearby stream which is common point of Sy Nos. 10 & 48 of Hunasikatte village. From this point the line runs across Sy Nos. 45, 44 & 43 to meet at the tri-junction point of Sy Nos. 43, 42 & 38, then further passes along the outer boundary of Sy Nos. 38 & 37 of Hunasikatte village on the village boundary. Then the line passes in west direction to meet the point with co-ordinates N 140 36' 33.24 E 750 39' 55.41, then line passes till the point with co-ordinates N 14^0 36' 43.31 E 75^0 39' 27.56 and further in north-west direction till the co-ordinate N $14^0$37'11.48" E 75^0 39' 14.86" Then the line runs northwards in a straight line till the co-ordinate N 14^0 38' 20.21" E 75^0 39' 24.42"and further runs in west direction till the co-ordinate N 14^0 38' 14.54" E 75^0 38' 29.45" then line runs in north-west direction till the stream in Hullathi village with co-ordinate N 14^0 38' 39.87 E $75^0$38' 3.57" Then the boundary runs along the stream in northward direction along outer boundary of Sy Nos. 82, 83, 84, 86, 19 & 18 till the co-ordinate N 14^0 39' 26.99" E 75^0 37' 55.06" and further till the junction of Sy Nos. 6 & 8 with co-ordinates N 14^0 39' 41.85" E 75^0 37' 48.57" and further across Sy Nos. 8 & 9 of Hullathi village on the village boundary with co-ordinates N 14^0 39' 54.10" E 75^0 37' 45.99"and then line runs northwards till the stream with co-ordinates N 14^0 40' 18.09" E 75^0 37' 48.24" along common boundary of Sy Nos. 128 & 129 of Guddadhanaveri village. From this point the line runs in straight line to reach a point with co-ordinates N 14^0 40' 49.15" E 75^0 38' 9.59"and further line runs eastwards to reach a point with co-ordinates N 14^0 40' 34.31" E 75^0 39' 13.10", then the line proceeds northwards till the point with co-ordinates N 14^0 40' 50.80" E 75^0 39' 7.25" on the Bevinahalli village boundary. Then line proceeds along outer boundary of Sy Nos. 48, 49, 51, 55, 56 & 16 till it reaches tri-junction point of Sy Nos. 16 & 17 of Bevinahalli village &Sy No. 74 of Mydhura village on the common village boundary. Then the line runs along the outer boundary of 74 & 71 till it reaches common point of Sy Nos. 71 & 68 of Mydhura village, then the line bisects Sy Nos. 68 & 48 to meet at tri-junction point of Sy Nos. 48, 45 & 46 of Mydhura village, then the line further runs in north-east direction across Sy Nos. 46, 40, 36, 31, 30, 24 & 19 of Mydhura village to meet the point with co-ordinate N 14^0 42' 43.83" E 75^0 40'16.38" on the stream, then the line proceeds northwards along the stream & outer boundary of Sy Nos. 18, 17, 15 & 14 till it reaches the starting point.

Block-II :Alalageri, Hanumapur Block

North : The line starts from the bi-junction point of Sy Nos. 70 & 49 of Arabagonda and Kengonda villages respectively on the village boundary, then passes along outer boundary of Sy. Nos. 49, 53, 63 settlement 8, 10 & 11 of Kengonda village till the line meets at a point on the junction point of Sy Nos. 11 & 12 of Kengonda village and Sy Nos. 135 of Kalledevaru village on the village boundary. Then the line passes along the outer boundary of Sy Nos. 135, 136, 139, 140, 208, 205, 204, 203, 202, 200, 198, 234 then bisects Sy Nos. 232 to meet at bi-junction point of Sy Nos. 232 & 243, then further continue along outer boundary of Sy Nos. 243, 246, 254, 255/A, 256, 299, 316, 328 till it reaches at the tri-junction point of Sy Nos. 328, 309/A of Kalledevaru village and Sy Nos. 68 of Bharadi village. Then the line bisects Sy Nos. 68 to reach bi-junction point of Sy Nos. 68 & 67 of Bharadi village. From this point the line ruin along the outer boundary of Sy Nos. 67, 60, 61 till the bi-junction point of Sy Nos. 61 & 62 of Bharadi and further the line bisects the Sy Nos. 62, 48 & 50 to meet at the bi-junction point of Sy Nos. 50 & 51, then the line passes along outer boundary of Sy Nos. 51 to meet at bi-junction point on inter village boundary of Bharadiand Kuragundha village. Then the line passes along outer boundary of Sy Nos. 96, 102, 103 and further bisects Sy No. 109 & further meets at bi-junction point Sy Nos. 109 & 108 & then the line passes along outer boundary of Sy Nos. 108, 76, 77 till the bi-junction point of Sy Nos. 77 & 81. Then the line bisects the Sy Nos. 81 to meet at the tri-junction point of Sy Nos. 81, 82 & 83. Then boundary runs along the outer boundary of Sy Nos. 83, 84, 85 & 91 to meet at bi-junction point of Sy Nos. 91 & 87 of Kurugundha village.

East : Then from the above point the boundary line proceeds southwards along the outer boundary of Sy os.91 of Kuragundha village to meet at inter village boundary at Sy Nos. 16 of Hanumapura village. Further, the line passes along the outer boundary of Sy Nos. 16, 10, 114/1 to meet at bi-junction point of Sy Nos. 114/1 & 115 &

further along inner boundary of Sy Nos. 115 & 116 to meet at bi-junction point of Sy Nos. 116 & 100 of Hanumapura village. Then the line runs along outer boundary of Sy Nos. 100, 99, 98, 77, 76, 75, 74 & 73 till it reaches a bi-junction point of inter village boundary at Sy Nos. 73 of Hanumapura village &Sy Nos. 88 of Y.T.Honnathi village. Then boundary runs along outer boundary of 88 & 91 of Y.T.Honnathi village to meet at bi-junction point of Sy Nos.90 & 91. Then the line passes southwards bisecting the Sy Nos.81 & 78 to meet at bi-junction point of Sy Nos.78 & 67 & further line passes along outer boundary of Sy Nos. 67, 33 & till the south east corner of Sy Nos. 36.

South : From the above point the boundary line runs along south-west direction and along the outer boundary of Sy Nos. 36, 48. Then from south-west corner of Sy. Nos. 48 the boundary passes in south-west direction in straight line. When line reaches the boundary of Budappanahalli village, it runs towards sanctuary with the inter Taluk boundary of Haveri and ByadagiTaluk till GPS co-ordinates N 14.72400 E 75.59780. Then line runs in west direction parallel to sanctuary boundary with a distance of 100 mtr. along with the GPS co-ordinates N 14.723723 E 75.587772, N 14.726738 E 75.580106, N 14.725186 E 75.575637, N 14.723122 E 75.570683, N 14.716121 E 75.570683, N 14.716121 E 75.564743, N 14.717866 E 75.561884, N 14.714084 E 75.563204, N 14.714561 E 75.558261, N 14.712524 E 75.552800, N 14.709701 E 75.550841, N 14.707240 E 75.552332 of Budappanahalli village and continues same in Khajari village along the GPS co-ordinates N 14.699601E 75.552991, N 14.693362 E 75.553726.when line reaches the Kakola village boundary it runs in South direction and passes along with the outer boundary of sy. nos . 48, 47, 43, 42, 54, 55, 25, 24 & 23 of Kakola village to meet at inter village boundary of Kakola & Chatra village.

West: Then line again runs in parallel to sanctuary boundary with a distance of 100 mtr, along with GPS co-ordinates N 14.701375 E 75.546834, N 14.702930 E 75.538969, N 14.702950 E 75.537883, N 14.700803 E 75.528015, N14.703813 E 75.528064, N14.703813 E 75.528064, N 14.716967 E 75.524995, N 14.717273 E 75.533443, N 14.723206 E 75.539963, N 14.731061 E 75.538423, N 14.731620 E 75.534158, N 14.733900 E 75.524621, N 14.736109 E 75.523438, N 14.736759 E 75.515152, N 14.735843 E 75.511998, N 14.737149 E 75.510399, N 14.737517 E 75.506016 of villages Chatra, Mutebennuru and Alalageri respectively, till it reaches the village boundary of Arabagonda village. Then line passes across northwards Sy Nos. 19,18,15,14,13,12, 9, 8, 7, 34, 35, 37, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 50,51, 52 & 53 till the point where Sy Nos. 53 & 58 meet, further continuous along outer boundary of Sy Nos. 58 & 59, then from the common point on Sy Nos. 59 & 60 the line passes across 60, 61 to a bi-junction point of 61 & 69 and further continuous along outer boundary of Sy Nos. 69 & 70 of Arabagonda till the line meets the starting point.

Annexure-II

List of villages falling within the Eco-Sensitive Zone around Ranebennur Blackbuck Sanctuary

BLOCK -1 :Hullatti-Hunasikatti Block

Map Id	Name of the village	Eco-sensitive Zone width	Taluk	Global Positioning System Co-ordinates	Extent in hectares
1	Yattinhalli	Partial village	Ranebennur	N: 14^0 43’ 34” E: 75^0 39’ 52”	55.36
2	Kudrihal	Partial village	Ranebennur	N: 14^0 43’ 46” E: 75^0 41’ 42”	628.30
3	Hiladhalli	Partial village	Ranebennur	N: 14^0 42’ 24” E: 75^0 43’ 09”	328.31
4	Anksapur	Partial village	Ranebennur	N: 14^0 41’ 13” E: 75^0 42’ 25”	180.30
5	Medleri	Partial village	Ranebennur	N: 14^0 40’ 02” E: 75^0 43’ 57”	655.80
6	Maiduru	Partial village	Ranebennur	N: 14^0 42’ 37” E: 75^0 39’ 33”	396.74
7	Bevinhalli	Partial village	Ranebennur	N: 14^0 41’ 36” E: 75^0 39’ 23”	276.00
8	Dombarhalli	Entire village	Ranebennur	N: 14^0 40’27” E: 75^0 40’ 20”	174.43
9	Gangapur	Entire village	Ranebennur	N: 14^0 40’ 44” E: 75^0 39’ 16”	240.51
10	Kankapur	Partial village	Haveri	N: 14^0 45’ 26” E: 75^0 24’ 21”	27.65

11	Gudadanveri	Partial village	Ranebennur	N: 14^0 40’ 15” E: 75^0 36’ 50”	134.10
12	Hullatti	Partial village	Ranebennur	N: 14^0 39’ 25” E: 75^0 38’ 17”	435.43
13	Kanagondanhalli	Partial village	Ranebennur	N: 14^0 38’ 39” E: 75^0 39’ 31”	290.42
14	Ranebennur	Partial village	Ranebennur	N: 14^0 37’ 14” E: 75^0 37’ 43”	479.42
15	Hunasikatti	Partial village	Ranebennur	N: 14^0 36’ 26” E: 75^0 47’ 52”	523.90
16	Ravatankatti	Entire village	Ranebennur	N: 14^0 37’ 31” E: 75^0 42’ 11”	563.91
17	Yaklaspur	Partial village	Ranebennur	N: 14^0 38’ 00” E: 75^0 44’ 00”	592.35
18	Mallapur	Partial village	Ranebennur	N: 14^0 38’ 08” E: 75^0 45’ 28”	269.30
19	Hirebidari	Partial village	Ranebennur	N: 14^0 38’ 09” E: 75^0 48’ 25”	21.52
20	Airani	Partial village	Ranebennur	N: 14^0 36’ 26” E: 75^0 47’ 52”	994.50
21	Hulikatti	Partial village	Ranebennur	N: 14^0 33’ 20” E: 75^0 46’ 42”	33.10
22	Khanderayanhalli	Partial village	Ranebennur	N: 14^0 34’ 15” E: 75^0 46’ 14”	184.58
23	Karur	Partial village	Ranebennur	N: 14^0 33’ 41” E: 75^0 44’ 22”	339.32
24	Chalageri	Partial village	Ranebennur	N: 14^0 34’ 05” E: 75^0 43’ 12”	429.17
Total area in Hectares					**8254.42**

BLOCK -2 : Alalageri Hanumapura Block

Map Id	**Name of the village**	**Eco-sensitive Zone width**	**Taluk**	**Global Positioning System Co-ordinates**	**Extent in hectare**
1	Arabgond	Partial village	Byadgi	N: 14^0 45’ 01” E: 75^0 29’ 45”	309.29
2	Kengonda	Partial village	Byadgi	N: 14^0 45’ 52” E: 75^0 30’ 38”	341.65
3	Katenahalli	Partial village	Ranebennur	N: 14^0 46’ 42” E: 75^0 29’ 52”	3.22
4	Kalledevar	Partial village	Ranebennur	N: 14^0 45’ 52” E: 75^0 32’ 46”	770.05
5	Bhardi	Partial village	Haveri	N: 14^0 46’ 59” E: 75^0 33’ 55”	151.25
6	Kurugund	Partial village	Haveri	N: 14^0 47’ 10” E: 75^0 35’ 33”	339.67
7	Hanmapur	Partial village	Ranebennur	N: 14^0 45’ 12” E: 75^0 36’ 39”	442.63
8	Budpanhalli	100 mtrs	Byadgi	N: 14^0 42’ 56” E: 75^0 37’ 32”	147.03
9	Alalgeri	100 mtrs	Ranebennur	N: 14^0 43’ 38” E: 75^0 31’ 07”	77.6
10	Motebennur	100 mtrs	Ranebennur	N: 14^0 42’ 54” E: 75^0 28’ 48”	31.00
11	Chatra	100 mtrs	Ranebennur	N: 14^0 41’ 43” E: 75^0 31’ 40”	26.01
12	Kakol	Partial village	Ranebennur	N: 14^0 40’ 43” E: 75^0 32’ 50”	121.89
13	Kajari	100 mtrs	Ranebennur	N: 14^0 40’ 15” E: 75^0 34’ 28”	5.99

14	Yellapur	Partial village	Ranebennur	N: 14^0 44’ 05” E: 75^0 38’ 12”	252.81
Total area in Hectares					**3020.09**

Grand total area of Eco-Sensitive Zone: 11274.51 hectares

ANNEXURE-III

Map showing Eco-sensitive Zone around Ranebennur Blackbuck Sanctuary

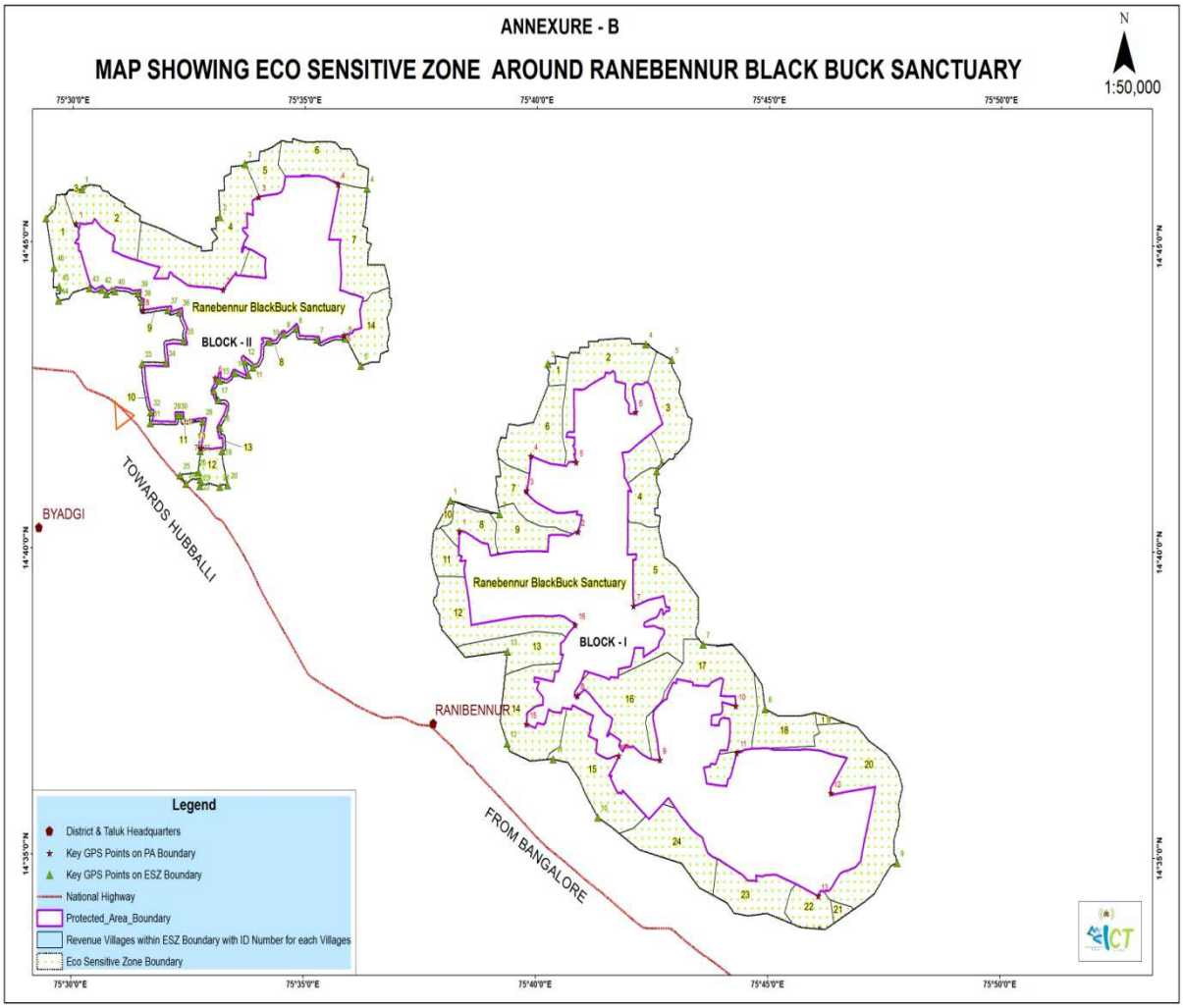

ANNEXURE-IV

Table showing Geo-coordinates of major points on the boundary of Eco-sensitive Zone around Ranebennur Blackbuck Sanctuary

BLOCK -1: Hullatti–Hunasikatti Block

	Longitude			Latitude		
Map ID	**Degree**	**Minutes**	**Seconds**	**Degree**	**Minutes**	**Seconds**
1	75	38	8.89	14	40	48.35
2	75	39	12.28	14	40	35.14
3	75	40	14.41	14	43	2.79
4	75	42	20.83	14	43	22.31
5	75	42	54.47	14	43	8.61
6	75	42	35.27	14	41	17.83

7	75	43	35.86	14	38	28.15
8	75	44	56.16	14	37	25.11
9	75	47	47.00	14	34	54.77
10	75	41	20.20	14	35	38.35
11	75	40	22.61	14	36	35.37
12	75	39	22.90	14	36	50.47
13	75	39	23.08	14	38	20.48

BLOCK -2 :Alalageri-Hanumapura Block

	Longitude			**Latitude**		
Map ID	**Degree**	**Minutes**	**Seconds**	**Degree**	**Minutes**	**Seconds**
1	75	30	11.67	14	45	51.95
2	75	33	10.12	14	45	25.39
3	75	33	42.14	14	46	17.56
4	75	36	20.31	14	45	53.59
5	75	36	12.83	14	42	59.99
6	75	33	42.78	14	43	4.32
7	75	32	47.02	14	41	8.47
8	75	32	48.60	14	42	4.95
9	75	31	28.64	14	44	2.04

Table showing Geo-coordinates of major points on the boundary of Ranebennur Blackbuck Sanctuary boundary.

BLOCK -1: Hullatti- Hunasikatti Block

	Latitude			**Longitude**		
Map ID	**Degree**	**Minutes**	**Seconds**	**Degree**	**Minutes**	**Seconds**
1	14	40	18.48	75	38	20.76
2	14	40	18.12	75	40	54.12
3	14	40	58.44	75	39	47.88
4	14	41	32.28	75	39	52.92
5	14	41	26.16	75	40	51.60
6	14	42	15.84	75	42	8.28
7	14	39	5.76	75	42	5.76
8	14	37	37.92	75	40	53.76
9	14	36	34.92	75	42	40.32
10	14	37	28.20	75	44	18.24
11	14	36	42.12	75	44	19.68
12	14	36	2.52	75	46	21.72
13	14	34	21.72	75	46	5.16
14	14	36	38.88	75	41	47.40
15	14	37	9.48	75	39	48.24
16	14	38	46.68	75	40	50.52

BLOCK -2:Alalageri-Hanumapura Block

Map ID	Latitude			Longitude		
	Degree	Minutes	Degree	Minutes	Degree	Minutes
1	14	45	18.00	75	30	4.68
2	14	44	13.20	75	33	14.40
3	14	45	45.00	75	34	0.48
4	14	45	57.96	75	35	42.72
5	14	43	29.64	75	35	51.36
6	14	42	47.16	75	33	4.68
7	14	41	39.12	75	32	46.68
8	14	43	53.40	75	31	30.72

ANNEXURE – V

Performa of Action Taken Report:- Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attach minutes of the meeting on separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record. Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006. Details may be attached as separate Annexure.
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006. Details may be attached as separate Annexure.
7. Summary of complaints lodged under section 19 of Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2017.07.13 11:46:14 +05'30'